

INDEX

IN

Response Affidavit of

Uttarakhand Pollution Control Board (Respondent No. 1)

in

Original Application No. 182 of 2024

News item titled “*Laksar mein jaron par chal raha aviadh khaman ka khel raat ke andhere mein garaj rahi JCB mashine*” appearing in ETV

Bharat dated 17.01.2024.

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1 - 1
2.	Response Affidavit	2 - 8
3.	Annexure No. 1: Copies of letters sent to District Magistrate, Haridwar and Director Mining vide this office letters dated 15.04.2024.	9 - 10
4.	Annexure No. 2 (colly): Copy of joint inspection report dated 04.05.2024 along with annexures.	11 - 162
5.	Annexure No. 3: Copy of constitution of District Anti-Illegal Mining Force dated 27.03.2023.	163 - 163
6.	Annexure No.4: Copy of the Uttarakhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Illegal Transport and Illegal Storage) Rules, 2021 as amended 14.11.2023.	164 - 197

Dated: May, 2024

Advocate
(Counsel for the UKPCB)

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Response Affidavit of
Uttarakhand Pollution Control Board
(Respondent No. 1)


in

Original Application No. 182 of 2024

News item titled "*Laksar mein jaron par chal raha aviadh khaman ka khel raat ke andhere mein garaj rahi JCB mashine*" appearing in ETV

Bharat dated 17.01.2024


AFFIDAVIT of Shri Sompal Singh, aged about 52 years, S/o Late Shri Asha Ram Presently posted as Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Roorkee, District Haridwar.



S.S.
Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

- 1) That the deponent is presently posted as the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Officer, Roorkee, District Haridwar is duly authorized by competent authority and is competent to sign and swear the instant affidavit.



- 2) That the above noted O.A. was listed for hearing on 29.02.2024, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

“.....

7. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

- i. Uttarakhand Pollution Control Board through its Member Secretary.
- ii. District Magistrate, Haridwar.
- iii. Member Secretary, Central Pollution Control Board.

8. Learned Counsel for Respondent No. 1 seeks four weeks' time to obtain instructions and file the reply. Respondent No. 1 will disclose the extent of illegal mining, action taken against the violators and the plan of action to prevent such illegal mining. the applicant to file the rejoinder within two weeks thereafter.

.....”

- 3) That in compliance of the aforesaid directions, necessary information were sought from the District Magistrate, Haridwar & District Mining Officer, Haridwar and Director, Geology & Mining, Dehradun vide this office letters dated 15.04.2024.

Copies of letters is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this affidavit.



- 4) That a joint inspection of the area in question was carried out by the team comprising of Sub Divisional Magistrate, Laksar; District Mining Officer, Haridwar and Regional Officer, UKPCB on dated 04.05.2024. As per inspection report, following activities are permitted in the Laksar Tehsil:

S.N.	Particulars	Nos. of permission	Operational Status
1.	Mining Lease	04	03
2.	Stone Crusher	09	03
3.	Retail Storage	31	23
4.	Screening Plant	Nil	Nil

The Joint team has not observed incidences of illegal mining in the area. It is also stated that regular vigilance is being carried out by the Revenue department and Mining department in the area. A total of 15 check post has been established for controlling illegal transportation of mined materials in district Haridwar. The joint inspection report also stated the action taken against the stone crushing units due to illegal storage of mined materials, illegal storage of mined materials by Retailers and vehicles found engaged in illegal transportation of mined materials, particularly in Tehsil Laksar of district Haridwar. Copy of joint inspection report along with Annexures is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.



- 5) That the Joint Inspection report also enclosed the action taken in the Year 2023-24 in the matter of illegal mining, illegal storage of mined materials and its transportation and storage in district Haridwar.
- 6) That in compliance of *Para 6* of order dated 29.02.2024, based on reply of District Magistrate Haridwar and report of Joint team, response of UKPCB is as follows:

I. Extent of Illegal Mining & Action taken against the violators:

As per joint inspection report, 149 cases of illegal storage of minor minerals were reported in Stone Crushing Units, for which proposed cumulative penalties of Rs. 26,03,75,568.00 were assessed against the violators from April 2023 to March, 2024 in District Haridwar. Out of total imposed penalties, Rs.1,86,23,740.00 has been recovered and Rs. 24,17,51,828.00 is yet to be recovered from violators.

Out of total 149 cases of illegal storage of minerals in Stone Crushing units, 20 cases were related to 8 Stone Crushers located in Tehsil Laksar.

Similarly, a total of 235 cases of illegal mining were reported from April 2023 to March, 2024 for which cumulative penalties of Rs. 25,90,80,132.00 have been imposed against violators reported in District Haridwar. Out of total imposed penalties, Rs. 36,94,646.00 has been recovered and Rs. 25,53,85,486.00 is yet to be recovered from violators.




A total of 689 vehicles were seized in illegal transportation of mined material in District Haridwar during April 2023 to March 2024. A sum of Rs. 2,78,00,443.00 were recovered from vehicles engaged in illegal transportation of mined materials. Out of total 689 vehicles, 314 vehicles were seized in Tehsil Laksar and cumulative penalties of Rs. 1,14,26,423.00 were imposed due to illegal transportation of mined materials.

Out of 31 storage Retailers located in Tehsil Laksar, 18 storage Retailers were found engaged in illegal storage of minerals in the year 2023-24. A total of 39 incidences were reported of violations and a cumulative penalties of Rs. 20,23,022.00 has been imposed.

II. Plan for Action to prevent such illegal mining:

In order to prevent illegal mining, the Revenue department and Mining department conducts regular surprise checking in the area. 03 FIR has also been lodged by Revenue Sub Inspector for carrying out illegal mining in *Gram Samaj* land. After the news items appeared in ETV Bharat on 17.01.2024, extensive monitoring were done by Sub-Divisional Magistrate, Laksar and seized 23 vehicles and imposed penalties against 3 JCBs indulging in illegal mining.


In order to undertake effective control and prevention of illegal mining, District Anti-Illegal Mining force was constituted at District level and Tehsil level. Monthly review meeting is conducted by Sub-Divisional Magistrate, Laksar with team



Solemnly affirmed before me on this day of May, 2024 at Dehradun at about AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit. The person has signed in my presence on the affidavit.

Time: 4:50pm
S.No: 073/065

Notary
SWORN & AFFIRMED BEFORE ME
Shiv Sharan Arora Sharma
Advocate & Notary
Roorkee, Haridwar (U.K.)
Reg. No. 49 (05) 19
07/05/24



S.



LIFE
Lifestyle For
Environment

426

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Annexure No. 1

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-756 / 2024 / 119

दिनांक 15.04.2024

स्पीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मेटर

अनुस्मारक-01

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
हरिद्वार।
2. जिला खनन अधिकारी
कलेक्ट्रेट परिसर, रोशनाबाद
जिला हरिद्वार।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024 Suo Motu matter In re: News item appearing in ETV Bharat dated 17-01-2024 entitled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें" के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-756 / 2024 / 1575 दिनांक 07.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में भोगपुर से बालावाली तक गंगा नदी एवं बाणगंगा क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी भूमि तथा ग्राम पंचायत, वन विभाग एवं निजी नाप भूमि पर अवैध खनन की स्थिति, अवैध खनन पर कृत कार्यवाही तथा अवैध खनन को रोकने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में आख्या/रिपोर्ट चाही गयी थी **संलग्नक-01**। आख्या/रिपोर्ट वर्तमान तक अप्राप्त है। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के अनुपालन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या/रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. विषयगत क्षेत्र में अवैध खनन के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या।
2. अवैध खनन के मामलों में कृत कार्यवाही का विवरण।
3. अवैध खनन को रोकने हेतु कार्ययोजना।

कृपया अवगत होवें कि प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 09.05.2024 नियत है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,


(डा0 पराग मधुकर घकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-756 / 2024 / तददिनांकित।

011 2

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.03.2024 के क्रम में जिलाधिकारी/जिला खनन अधिकारी, हरिद्वार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।


सदस्य सचिव



LIFE 427
Lifestyle For
Environment

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-756/2024/50,
स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

दिनांक 15.04.2024

एन0जी0टी0 मेटर
अनुस्मारक-01

सेवा में,

निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई

उद्योग निदेशालय,

भोपालपानी, थानो रोड़, देहरादून।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024 Suo Motu matter In re: News item appearing in ETV Bharat dated 17-01-2024 entitled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें" के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-756/2024/1612 दिनांक 15.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में भोगपुर से बालावाली तक गंगा नदी एवं बाणगंगा क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी भूमि तथा ग्राम पंचायत, वन विभाग एवं निजी नाप भूमि पर अवैध खनन की स्थिति, अवैध खनन पर कृत कार्यवाही तथा अवैध खनन को रोकने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में आख्या/रिपोर्ट चाही गयी थी संलग्नक-01। आख्या/रिपोर्ट वर्तमान तक अप्राप्त है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के अनुपालन में विषयगत क्षेत्र में अवैध खनन के सम्बन्ध में Extent of illegal Mining, Action taken against the violators and the Action Plan to prevent such illegal mining की विस्तृत आख्या, से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण में सुनवाई की तिथि दिनांक 09.05.2024 नियत है। अतः प्रकरण पर प्राथमिकता के आधार पर आख्या अपेक्षित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

or 2



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रुड़की -247667 हरिद्वार



पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा-147(58)/2024/ 188

दिनांक: 07.05.2024

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 1321
Date 07/05/24


विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 182/2024 Suo Motu matter In re:
News items appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 entitled लक्सर में जोरों पर
चल रहा अवैध खनन का खेल, यत के अंधेरों में गरज रही जेसीबी मशीनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, जिला- हरिद्वार के पत्रांक सं0- 1057/खनन
सहायक दिनांक 29.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के अनुपालन में संयुक्त जांच कमेटी
द्वारा विषयगत क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार निरीक्षण कर आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं
अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोदय, जिला- हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रेषक,

प्र० खान अधिकारी / खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

संख्या :- 128 / भू०खनि०वि० / अवैध खनन / हरिद्वार / 2024-25

दिनांक 06 मई, 2024

विषय:- मा० एन०जी०टी० द्वारा O.A.No. 182/2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 1057 / खनन सहायक दिनांक 29.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि उपजिलाधिकारी लक्सर, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड रुडकी एवं अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है, के द्वारा मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या O.A No. 182/2024 Suo Motu matter in re: News item appearing in ETV Bhart dated 17-01-2024 entitled " लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें " में संयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी लक्सर, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड रुडकी एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.05.2024 की मूल रूप में संलग्न कर मा० एन०जी०टी० में दाखिल किये जाने हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मौ० काजिम रजा)

प्र० खान अधिकारी / खान निरीक्षक

पृष्ठांकन संख्या :- 128 / भू०खनि०वि० / अवैध खनन / हरिद्वार / 2024-25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड रुडकी को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

Mohd. Kazim Raza
(मौ० काजिम रजा)

प्र० खान अधिकारी / खान निरीक्षक

मा0 एन0जी0टी0, के आदेश दिनांक 22.02.2024 के सम्बन्ध मे

अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 1057 / खनन सहायक दिनांक 29.04.2024 जो कि उपजिलाधिकारी लक्सर, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड रूडकी एवं खान निरीक्षक/प्रभारी खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार को सम्बोधित है, के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या O.A No. 182/2024 Suo Motu matter in re: News item appearing in ETV Bhart deated 17-01-2024 entitled " लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें "में संयुक्त निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।


उक्त के अनुपालन में दिनांक 04.05.2024 को उपजिलाधिकारी लक्सर के नेतृत्व में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड रूडकी एवं खान निरीक्षक/प्रभारी खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र में वर्तमान स्थिति सामान्य है और कोई भी अवैध खनन से सम्बन्धित संक्रियाएँ नहीं पायी गयी (फोटोग्राफस संलग्न)। प्रश्नगत क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध खनन पर निगरानी रखी जा रही हैं।

उक्त के अतिरिक्त सादर अवगत कराना है कि अवैध खनन परिवहन की रोकथाम हेतु जनपद हरिद्वार में मै0 कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल0एल0पी0 अलकनन्दा 3-506 बिन्डलास रिवर वैली हरवाला देहरादून के द्वारा कुल 15 जॉच चौकियाँ स्थापित की गयी है, जो कि निरन्तर अवैध खनन परिवहन पर कार्यवाही कर रही है।

पूर्व में राजस्व, खनन विभाग द्वारा तहसील लक्सर क्षेत्र में संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं छापमारी कर अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्तमान में तहसील लक्सर के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित खनन पट्टो/स्टोन क्रेशरो/रिटेल भण्डारणो का विवरण निम्नवत् है (संलग्न है) -

क्र0 सं0	विवरण	कुल	संचालित
1	खनन पट्टे-	04	03
2	स्टोन क्रेशर	09	03
3	रिटेल भण्डारण	31	23
4	स्कनिंग प्लान्ट	0	0



अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण से सम्बन्धित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है-

जनपद हरिद्वार में अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण											
क्र सं०	माह	स्टोन क्रेशर के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण				अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण				अवैध परिवहन/पकड़े गये वाहन का विवरण	
		प्रकरण	प्रस्तावित	वसूल की गयी धनराशी	वसूली हेतु अवशेष	प्रकरण	प्रस्तावित	वसूल की गयी धनराशी	वसूली हेतु अवशेष	प्रकरण	वसूल की गयी धनराशी
1	अप्रैल, 2023	7	3362749	3362749	0	7	3263371	156806	3106565	62	3481783
2	मई, 2023	10	7289721	2267968	5021753	23	17485979	156909	17329070	72	3128708
3	जून, 2023	6	5815347	5561247	254100	19	49659095	1025607	48633488	69	1789130
4	जुलाई, 2023	15	34605545	776406	33829139	40	49788776	0	49788776	44	1864843
5	अगस्त, 2023	4	1735549	1347384	388165	0	0	0	0	51	1842734
6	सितम्बर, 2023	1	36121659	0	36121659	0	0	0	0	79	3244213
7	अक्टूबर, 2023	12	11273847	2831006	8442841	24	11674100	490344	11183756	74	2937175
8	नवम्बर, 2023	15	70344627	294114	70050513	18	10040188	270484	9769704	50	2068621
9	दिसम्बर, 2023	24	13361508	542829	12818679	41	69852658	1126781	68725877	50	1619428
10	जनवरी, 2024	24	13765178	681469	13083709	35	30716551	39883	30676668	45	2476557
11	फरवरी, 2024	26	6297569	873554	5424015	25	26510429	427832	26082597	58	2197633
12	मार्च, 2024	5	3593358	85014	3508344	3	88985	0	88985	32	1149618
	कुल	149	260375568	18623740	188942917	235	259080132	3694646	265385486	689	27800443

₹ 241751828

₹ 255305406

तहसील लक्सर में स्टोन क्रेशर पर की गयी कार्यवाही का विवरण (संलग्नक-1) निम्नवत् है-

क्र० सं०	स्टोन क्रेशर का नाम	कारण बताओ नोटिस/आदेश	अर्थदण्ड का विवरण
1.	मै० वानिया स्टोन क्रेशर, ग्राम महतोली तहसील लक्सर व जिला हरिद्वार SC68022029	कारण बताओ नोटिस सं० 09 दिनांक 11.01.2024	171708
		आदेश सं० 614 दिनांक 03.11.2023	819550

2.	मै० हाईवे कन्स्ट्रक्शन एण्ड केशर ग्राम फतवा (तहसील लक्सर) SC68011239	कारण बताओ नोटिस 04 दिनांक 11. 01.2024	125349
		आदेश सं० 613 दिनांक 03.11.2023	15894680
		कारण बताओ नोटिस 821 दिनांक 05. 04.2022	249480
		कारण बताओ नोटिस सं० 153 दिनांक 24.07.2023	253145
		कारण बताओ नोटिस 1130 दिनांक 13.03.2023	2938320
3.	मै० किसान स्टोन केशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार SC68021799	कारण बताओ नोटिस 05 दिनांक 11. 01.2024	168989
		कारण बताओ नोटिस 173 दिनांक 04. 08.2023	145715
		कारण बताओ नोटिस 1117 दिनांक 03.03.2023	733713
		आदेश दिनांक 30.01.2023	336071
		आदेश दिनांक 19.07.2022	978713
4.	मै० गणपति स्टोन केशर ग्राम जवाहरखान उर्फ झीवरहेडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार sc68021878	कारण बताओ नोटिस 07 दिनांक 11. 01.2024	130390
5.	मै० सूर्या स्टोन केशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा (तहसील लक्सर) SC68011247	कारण कारण बताओ नोटिस बताओ नोटिस 11 दिनांक 11.01.2024	627870
		कारण बताओ नोटिस 172 दिनांक 04. 08.2023	406615
		कारण बताओ नोटिस 111/1 दिनांक 05.02.2024	15055653

R

S

Araf

6.	मै० लिमरा इन्डस्ट्रीज ग्राम नेहन्दपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार SC68001068	कारण बताओ नोटिस 09 दिनांक 11.01.2024	171225
		आदेश दिनांक 09.08.2023	213147
		आदेश संख्या 57/2022 दिनांक 23.02.24	2074838
7.	मै० दून स्टोन क्रेशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार। SC68023856	कारण बताओ नोटिस 06 दिनांक 11.01.2024	232953
		कारण बताओ नोटिस 176 दिनांक 09.08.2023	82018
		आदेश दिनांक 30.01.2023	261766
		आख्या दिनांक 29.04.2024	208568
8.	मै० शुभ स्टोन क्रेशर, ग्राम मुज्जफरपुर गुजरा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार। SC68023838	कारण बताओ नोटिस सं० 11 दिनांक 11.01.2024	522306
		कारण बताओ नोटिस 186 दि० 17.08.2023	160432

तहसील लक्सर में रिटेल भण्डारण पर की गयी कार्यवाही का विवरण(संलग्नक-2) निम्नवत् है-

क्र० सं०	रिटेल भण्डारण का नाम	कारण बताओ नोटिस/आदेश	अर्थदण्ड का विवरण
1.	श्री संजीव कुमार (डायरेक्टर वी०पी०एस०जी० इन्फ्राटेक प्रा० लि०) पुत्र श्री बवजयपाल सिंह नि० म०नं० 132 सोसाईटी रोड लक्सर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	आदेश वाद सं० 278/2023 दि० 28.12.2023	138884
2.		आदेश सं० 182/2022 दि० 13.06.2022	133980

Sharf

	श्री बाबूराम पुत्र श्री झाबरे सिंह ग्राम पंडितपुरी मजरा हबीबपुर कुरडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	आदेश वाद सं० 12/2022 दि० 11.05.2022	99263
3.	मै० नटराज ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० श्री अनिल कुमार पाल पुत्र श्री ओमप्रकाश मकान नं० 70 रोशनाबाद हरिद्वार को ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 90/2024 दि० 13.02.2024	10622
		आदेश वाद सं० 264/2023 दि० 01.12.2023	69289
		आदेश वाद सं० 252/2023 दि० 13.10.2023	8558
		आदेश वाद सं० 161/2023 दि० 01.04.2023	31241
		आदेश वाद सं० 237/2022-23 दि० 16.03.2023	73704
4.	मै० गुरु कृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार नि० ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 188/2022 दि० 01.07.2023	163240
5.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमकुमार निवासी जैतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 258/258 दि० 03.06.2023	141061
		आदेश वाद सं० 236/2023 दि० 29.08.2023	102315
		आदेश वाद सं० 247/2022-23 दि० 29.04.2023	60386

Handwritten signature

6.	मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० श्री रोहित पुत्र श्री अभयराम ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर की तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	आदेश वाद सं० 53/2024 दि० 07.01.2024	17494
		आदेश वाद सं० 256/202 दि० 16.10.2023	84740
		आदेश वाद सं० 279/2023 दि० 285.12.2023	44417
		आदेश वाद सं० 159/2023 दि० 001.04.2023	30038
		आदेश वाद सं० 228/2022-23 दि० 14.03.2023	73563
7.	श्री मेघराज पुत्र श्री सुखलाल निवासी ग्राम डूमनपुरी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 295/2023 दि० 30.12.2023	58657
		आदेश वाद सं० 270/2023 दि० 18.12.2023	13645
		आदेश वाद सं० 229/2022-23 दि० 14.03.2023	55015
8.	मै० हिमालाय ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो० श्री प्रतीक शर्मा पुत्र श्री मनीशंकर शर्मा निवासी 239/3 न्यू रामनगर हरिद्वार (मै० हिमालयन ग्रुप ऑफ कम्पनी)	आदेश वाद सं० 296/2023 दि० 07.01.2024	1621
		आदेश वाद सं० 255/2023 दि० 13.10.2023	20118मे६
9.	श्री आशुतोष सिंह बिष्ट पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी ग्राम अकुराई पो० अणा जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड	आदेश वाद सं० 272/2023 दि० 28.12.2023	41925
		आदेश वाद सं० 250/2023 दि० 04.10.2023	22202
		आदेश वाद सं० 167/2023 दि० 01.04.2023	65608

Handwritten signature

10.	श्री अमरदीप रणावत पुत्र श्री रणबीर सिंह रणावत निवासी 128, बैंक कालोनी पो0 अजबपुर कला देहरादून	आदेश वाद सं0 260/2023 दिं0 22.11.2023	12844
		आदेश वाद सं0 54/2024 दिं0 07.01.2024	1229
		आदेश वाद सं0 253/2023 दिं0 13.10.2023	7408
		आदेश वाद सं0 238/2022-23 दिं0 17.03.2023	63334
11.	मै0 कल्लू सिंह कॉन्ट्रेक्टर प्रो0 कल्लू सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं0 50/2024 दिं0 07. 01.2024	2516
		आदेश वाद सं0 273/2023 दिं0 28.12.2023	57890
		आदेश वाद सं0 254/2023 दिं0 13.10.2023	16453
		आदेश वाद सं0 177/2023 दिं0 10.05.2023	22662
12.	मै0 श्री बालाजी ट्रेड्स प्रो0 श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पाल गुप्ता निवासी गोरधनपुर रोड लक्सर शेखपुरी त0 लक्सर जिला हरिद्वार (मै0 बालाजी ट्रेड्स)	आदेश वाद सं0 160/2023 दिं0 01.05.2023	28746
		आदेश वाद सं0 240/2022-23 दिं0 20.03.2023	38115
13.	मै0 प्रकाश कॉरपोरेशन रामपुर रायघटी त0 लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं0 297/2023 दिं0 20.02.2024	4631

14.	मै० मॉ दुर्गा इंटरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नन्दकिशोर नि० कबूलपुर रायघटी त० व जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 263/2023 दि० 12.11.2023	1872
		आदेश वाद सं० 245/2022-23 दि० 28.04.2023	32898
15.	श्री बिट्टू पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी कबूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश सं० 237 दि० 25.08.2023	119350
16.	मै० देवभूमि इंटरप्राइजेज प्रो० श्री ललित कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह नि० ग्राम हरचन्दपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन तहसील रुडकी जिला हरिद्वार	आदेश सं० 60 दि० 07.02.2024	8766
		आदेश सं० 251 दि० 13.10.2023	7959
17.	मै० गणपति ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अभय सिंह नि० कबूलपुर रायघटी त० लक्सर	आदेश वाद सं० 51/2024 दि० 07.01.2024	10299
		आदेश वाद सं० 280/2023 दि० 28.12.2023	37575
		आदेश वाद सं० 249/2023 दि० 30.09.2023	159166
18.	मै० उत्तराखण्ड एसोसिएट्स प्रो० इरफान अहमद नि० ग्राम अहमदपुर चिडिया तहसील व जिला हरिद्वार	आदेश सं० 49 दि० 7.2.2024	107071
19.	मै० वैष्णो इंटरप्राइजेज प्रो० श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी ग्राम कलसिया तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 261/2023 दि० 22.11.2023	108626

Ahmed

तहसील लक्सर में अवैध परिवहन के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण


क्रमांक	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहनों की संख्या	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत पकड़े गये वाहनो पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपयों में
01	314	1,14,26,423/-

उक्त के अतिरिक्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर रायघटी, नेहन्दपुर सुठारी, मुसाहिबपुर माजरी, टांडा महतौली, सुल्तानपुर, भिक्कमपुर आदि में समय-समय पर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर 23 प्रकरणों में अवैध खनन के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी (संलग्नक-03) तथा तहसील लक्सर क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुये क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाना में वर्तमान तक कुल 03 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है (संलग्नक-04)। दिनांक 17.01.2024 को ई0टी0वी0 पर प्रसारित न्यूज "लक्सर में जोरो पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माह जनवरी 2024 में लक्सर तहसील में कुल 23 वाहन अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये एवं उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा गोपनीय सूचना का संज्ञान लेते हुये दिनांक 14 एवं 15 जनवरी, 2024 को अवैध खनन में संलिप्त 03 जे0सी0वी0 मशीन सीज कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया (संलग्नक-5)। दिनांक 20.01.2024 को तहसीलदार लक्सर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 05 ट्रेक्टर-ट्रालियों को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज किया गया जिनपर नियमानुसार अर्थदण्ड वसूलने हेतु आख्या जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को प्रेषित की गयी (संलग्नक-6)।


उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन परिवहन निरोधक दल का गठन किया गया है तथा तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का भी गठन किया गया है जिसकी प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी लक्सर की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आहूत की जाती है जिसमें परिवहन, राजस्व, खनन, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी एवं लक्सर क्षेत्र के ग्राम प्रधान प्रतिभाग करते हैं। उक्त समीक्षा बैठक में अवैध खनन पर किस प्रकार


प्रभावी अंकुश लगाया जा सके के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। तहसील स्तर पर गठित निरोधक दल द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी की कार्यवाही जाती है इसके अतिरिक्त भी उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तर पर समय-समय पर टीम गठित की जाती है जो क्षेत्र में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों पर निगरानी रखती है तथा उचित कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराती है।

संलग्नक:- यथोक्त।




जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार।


क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण
एवं नियंत्रण बोर्ड रुडकी



उप जिलाधिकारी
लक्सर।







सलज्ज - ①



संख्या- 07 / अहलमद-2023 दिनांक 11 / 01 / 2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 08 / 2024

सरकार

बनाम

धारा-विधि/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स गणपति स्टोन केशर,
ग्राम जवाहर खान उर्फ डीवरहेडी,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स गणपति स्टोन केशर,
ग्राम जवाहर खान उर्फ डीवरहेडी,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 28.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन
वेमान एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि
प्रापके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 4842.8 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर
1555.68 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन, एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली
2021 के प्राविधानानुसार अनिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष
टीके पर 931.351 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्व के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध
खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,30,390/-अर्धदण्ड अधिरोपित
किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,30,390/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर
जाये?


अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त कें संतंध में अपना
उत्तर/अनिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत
मयावधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण मुण-दोष के आधार पर
रते हुए अग्रततर कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

- तल्लिपि-
- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू0खनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रततर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
 - 3-प्राची अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को नगिनेखार्स।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



संख्या- 05 /अहलगद-2023 दिनांक 01 /01 /2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 06 /2024

सरकार

बनाम

घारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स गणपति स्टोन केशर,
ग्राम जवाहर खान उर्फ डीवरहेडी,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स किसान स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 5810.88 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 4185.29 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1207.061 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,68,989/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्या न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =₹0-1,68,989/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अभिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।




५
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भूखनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रतः कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



संख्या- 11 /अहलमद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 12 /2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स सूर्या स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो/स्वामी,
मैसर्स सूर्या स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में नौके पर 20213.4 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 14298.74 टन उपखनिज दर्शित हैं। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष नौके पर 4484.786 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-6,27,870/-अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-6,27,870/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अनिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिक्रिया-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तुरकाल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, गू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रवासी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिनेरक्षार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

4-8-2023
जुलाई 2023

संख्या:- 172 अहलमद-2023 दिनांक

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

संख्या: 231 /2023

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मैसर्स सूर्या स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो

मैसर्स सूर्या स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर

जिला हरिद्वार।



उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-777/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै सूर्या स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 28889.9 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-रवाना पोर्टल पर 23623.19 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 2362.319 टन कुल 25985.509 टन होता है। इस प्रकार मै सूर्या स्टोन केशर में मौके पर 2904.391 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 4,06,615/-रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

यद्यो न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 4,06,615/-रु०अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त घनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्त के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण युग-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-


1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि: नियमानुसार ई-रवाना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-प्रधान अधिकायी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।



संख्या- ८९ /अदलगाव-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

साद संख्या: 10 /2024

सरकार

बनाम

धारा-विधि/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स लिमिटेड स्टोन केशर,
ग्राम नेहन्दपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो/स्वामी,
मैसर्स लिमिटेड स्टोन केशर,
ग्राम नेहन्दपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में भौके पर 13392.5 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 11063.46 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष भौके पर 1223.034 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खननपरिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,71,225/-अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,71,225/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जावे?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भूखनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रतः कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रगती अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सं०- /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स लिमरा स्टोन केशर,ग्राम नेहन्दपुर सुठारी, तहसील
लकसर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम


आदेश

उप जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक-774/पी0ए0 दिनांक 21.07.2023 में अवगत कराया गया है कि दिनांक 09.06.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तहसील लकसर स्थित मै0 लिमरा स्टोन केशर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टोन केशर परिसर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1522478 टन उपखनिज अधिक पाया गया है जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-2,13,147/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। उक्त के कम में मैसर्स लिमरा स्टोन केशर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.07.2023 जारी किया गया। विपक्षी मैसर्स लिमरा स्टोन केशर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2023 के साथ उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू0-2,13,147/- ई-चालान सं0-0530823E0017957 दिनांक 07.08.2023 प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त आरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित सम्पूर्ण धनराशि रू0-2,13,147/- जमा कर दिये जाने के कारण उक्त उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त एवं ई-रबन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स लिमरा स्टोन केशर नेहन्दपुर सुठारी तहसील लकसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 08.08.2023 के अनुसार उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि रू0-2,13,147/- ई-चालान सं0-0530823E0017957 दिनांक 07.08.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने व ई-रबन्ना पोर्टल चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि नवित्त में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रततर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संवेचित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 09 अगस्त,2023

LR
(धीराज सिंह गंभवाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



संख्या- 05- /अहतनद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 07 /2024

घारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स दून स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

प्रो/स्वामी,
मैसर्स दून स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपलब्धिकाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 3125.52 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 1328.70 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्रावधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष नॉक पर 1683.95 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्रावधानानुसार रू0-2,32,953/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्रावधानानुसार =रू0-2,32,953/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रस्तुत/अभिलेखीय सहायक सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।




(धीराज सिंह गब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू0खनिज0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक फलवट्टे हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

पं.नं.सं-347/2023

वाद सं- 232 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स टून स्टोन केशर ग्राम महतौली तहसील लकसर
हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-776/पी0ए0/उ0जि0अ0 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि दिनांक 08.06.2023 को विपक्षी के स्टोन केशर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश में मौके पर ई-पोर्टल के सापेक्ष 585.84 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस कारण विपक्षी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-82,018/- अर्धदण्ड आरोपित किये जाने को संस्तुति की गई।

विपक्षी को उपरोक्त के आधार पर इस न्यायालय के कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.08.2023 प्रेषित किया गया कि क्यों न उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम-14(5) में दिये प्राविधानुसार कार्यवाही करते हुए मौके पर अधिक पाई गई उपरोक्त उपखनिज की मात्रा पर अर्धदण्ड रू0-82,018 आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय। विपक्षी के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी आतिथि तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-776/पी0ए0/उ0जि0अ0 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स टून स्टोन केशर ग्राम महतौली लकसर जिला हरिद्वार के विरुद्ध मौके पर अधिक पाई गई उपरोक्त उपखनिज की उपरोक्त वर्णित मात्रा पर अर्धदण्ड रू0-82,018/- अविरोपित करते हुए विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि यह आरोपित उपरोक्त राशि राजकीय कोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में 15 दिन के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त अवधि में विपक्षी द्वारा आरोपित अर्धदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो विपक्षी के विरुद्ध आरोपित अर्धदण्ड की राशि वसूली हेतु वसूली पत्र जारी किया जाय। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार एवं प्रमारी अधिकारी, खनन कलक्टर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 11-1-24

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

उगाफ्ट

संख्या- 176 अहलमद-2023 दिनांक 01 जुलाई 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

संख्या: 231 /2023

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स दून स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम


कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो

मैसर्स दून स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर

जिला हरिद्वार।



उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-776/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै दून स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 2000.2 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-स्वान्ना पोर्टल पर 1287.6 टन उपखनिज दर्शात पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 128.76 टन कुल 1416 टन होता है। इस प्रकार मै दून स्टोन केशर में मौके पर 585.84 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 82,018/-रु0 का अर्धदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्रुति की गई है।

व्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु0 82,018/-रु0 अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साध्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साध्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुम-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतार कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।


प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-साहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिज ईकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि निगमानुसार ई-स्वान्ना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रतार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4-प्रभाषी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुं. सिंह
19 July 2023



176
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

पाठ सं०- 104/2022

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

लकसर

बनाम

मैसर्स दून स्टोन केशर ग्राम महतौली तहसील लकसर
जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-405 दिनांक 25.01.2023 द्वारा प्रस्तुत आख्या में अद्यतन
किया गया कि दिनांक 19.01.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा मैसर्स दून स्टोन केशर टांडा
महतौली का आंचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर के पोर्टल के अनुसार केशर में उपखनिज
का स्टॉक 1701.11घ0मी0 है जबकि पैमाईश के दौरान स्टोन केशर में उपखनिज की मात्रा 2551घ0मी0 भण्डारण पाया
गया है। इस प्रकार कुल 849.89घ0मी0 अधिक होने का अन्तर पाया गया है। पोर्टल से अधिक मात्रा में उपखनिज पाये
जाने की अनिश्चितता के दृष्टिगत केशर को सील कर दिया गया है एवं उपखनिज परिवहन (अवैध खनन, परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के अन्तर्गत रू०-2,61,766/- का अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही
की आख्या दी गई है।

श्री सीरम चौहान मैसर्स दून स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक
30.01.2023 में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मौके पर अतिरिक्त पाई गई उपखनिज की मात्रा 849.89 घ0मी0
पर दण्ड अर्धदण्ड की धनराशि रू०-2,61,766/-ई-चालान सं०-08531222E0042040 दिनांक 25.01.2023 द्वारा
निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि जमा कर दिये
जाने के कारण उक्त उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई रवना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये
जाने की प्रार्थना की गई है।


अतः मैसर्स दून स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार द्वारा उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की
धनराशि रू०-2,61,766/-ई-चालान सं०-08531222E0042040 दिनांक 25.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में
जमा का दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई रवना आई0डी0 चालू करने हेतु अनुमति
प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति
के अंश आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी
अधिकारी, खनन एवं संबंधित केशर स्वामी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के
उपलब्ध प्रत्येकी अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 30.01.2023

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार



संख्या- 10 /अफलगद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 11 /2024

सरकार

बनाम

घारा-विधि/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स शुभ स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स शुभ स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अदमत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 21264.8 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-खनना पोर्टल पर 15940.04 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-खनना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 3730.756 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-5,22,306/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-5,22,306/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें; यदि नियत समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।




(धीराज सिंह गार्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भूखनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

पत्रांक-346/23C

वाद सं- 237 /2023

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
प्रो/स्वामी मैसर्स शुभ स्टोन केशर ग्राम महतीली
तहसील-लकसर व जिला, हरिद्वार।

सरकार

बनाम

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-779/पी0ए0-2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि दिनांक 08.06.2023 को विपक्षी के स्टोन केशर के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर ई-पोर्टल के सापेक्ष 1145.945 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण विपक्षी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के प्राविधानानुसार ₹0-1,60,432/- अर्धदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की गई।

विपक्षी को उपरोक्त के आधार पर इस न्यायालय के कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.08.2023 प्रेषित किया गया कि क्यों न उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम-14(5) में दिये प्राविधानानुसार कार्यवाही करते हुए मौके पर ई-पोर्टल के सापेक्ष अधिक पाई गई उपखनिज के अवैध खनन/अनियमितता के कारण अर्धदण्ड ₹0-1,60,432/- आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय। विपक्षी के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्राप्त के उपरान्त भी आतिथि तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-779/पी0ए0-2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रो/स्वामी मैसर्स शुभ स्टोन केशर के विरुद्ध उपरोक्त उपखनिज के अवैध भण्डारण/अनियमितता के कारण अर्धदण्ड ₹0-1,60,432/- अधिरोपित करते हुए विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह आरोपित उपरोक्त राशि राजकीय कोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में 15 दिन के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त अवधि में विपक्षी द्वारा आरोपित अर्धदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो विपक्षी के विरुद्ध आरोपित अर्धदण्ड की राशि वसूली हेतु वसूली पत्र जारी किया जाय। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक सू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्न इकाई हरिद्वार एवं प्रभारी अधिकारी, खनन कलक्टर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 11-7-24

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

संख्या- 186 अहलमद-2023 दिनांक 17 अगस्त 2023

वाद संख्या: 237

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार
/2023

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
मैसर्स शुभ स्टोन केशर
ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।कारण बताओ नोटिसस्वामी/प्रो
मैसर्स शुभ स्टोन केशर
ग्राम महतौली तहसील लक्सर
जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-779/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मैसर्स शुभ स्टोन केशर का उसके भूशेती की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 16273.2 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-खाना पोर्टल पर 13752.05 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 1375.205 टन कुल 15127.255 टन होता है। इस प्रकार मैसर्स शुभ स्टोन केशर में मौके पर 1145.945 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्रावधानानुसार 1,60,432/-रु0 का अर्धदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

यदि न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1674/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु0 1,60,432/-रु0 अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की बसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-खाना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4-प्रभावी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कु0 शिवा
23/8/2023

जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

संख्या- 173 अहलमद-2023 दिनांक 04 अगस्त, 2023

पत्र संख्या: 233 /2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स किसान स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम -


कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो

मैसर्स किसान स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर

जिला हरिद्वार।



उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-778/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै किसान स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 7890.4 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-स्वान्ना पोर्टल पर 6226.89 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 622.689 टन कुल 8849.579 टन होता है। इस प्रकार मै किसान स्टोन केशर में मौके पर 1040.821 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 1.45.715/-रु० का अर्धदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्यों न उक्त कृत्थ के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 1.45.715/-अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-स्वान्ना पोर्टल बन्द करने के संवध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-प्रभावी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुं. 117/10/8/2023



16
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।



संख्या: 1117 / अहलमद-2022

दिनांक: 03-3-2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार।

वाद सं०-35/2022

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम-14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021
प्रो०/पार्टनर,
मैसर्स किसान स्टोन केशर,
महतौली, तहसील लकसर
जिला-हरिद्वार।

1-उप जिलाधिकारी,

लकसर।

2-सहायक भू-वैज्ञानिक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार।

वाद उपरोक्त में इस न्यायालय के नोटिस दिनांक 20.07.2022 के द्वारा विपक्षी द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में अवैध खनन/भण्डारण किये जाने के कारण विपक्षी के विरुद्ध अर्थदण्ड रू०-9,78,713/- अधिरोपित किया गया है। इस संबंध में विपक्षी के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2022 के अर्थदण्ड रू०-2,45,000/- ई चालान सं०-08530722E0037349 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा जमा किये गये है, किन्तु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवशेष राशि एक माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिये जाने तथा इसके उपरान्त भी काफी समय व्यतीत होने के बाद भी विपक्षी द्वारा अभी तक अवशेष अर्थदण्ड की राशि रू०-7,33,713/- (रुपये सात लाख तैंतीस हजार सात सौ तेरह) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई गई है। इस कारण विपक्षी के विरुद्ध अवशेष धनराशि रू०-7,33,713/- की वसूली हेतु वसूली पत्र निर्गत किया गया है।

अतः अपेक्षित है कि उक्त स्टोन केशर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2022 के क्रम में अधिरोपित राशि रू०-7,33,713/- आतिथि तक जमा न किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उक्त स्टोन केशर को पुनः सीज करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल बन्द करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या इस न्यायालय को उपलब्ध करावें।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०-103 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मैसर्स किसान स्टोन केशर ग्राम महतौली तहसील लकसर
जिला हरिद्वार।

आदेश


उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-404 दिनांक 25.01.2023 द्वारा प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया कि दिनांक 19.01.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा मैसर्स किसान स्टोन केशर टांडा महतौली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर के पोर्टल के अनुसार केशर में उपखनिज का स्टॉक 7904.36घ0मी0 है जबकि पैमाईश के दौरान स्टोन केशर में उपखनिज की मात्रा 8995.5घ0मी0 भण्डारण पाया गया है, इस प्रकार कुल 1091.14घ0मी0 अधिक होने का अन्तर पाया गया है। पोर्टल से अधिक मात्रा में उपखनिज पाये जाने की अनियमितता के दृष्टिगत केशर को सील कर दिया गया है एवं उपखनिज परिहार (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021 के अन्तर्गत रू०-3,36,071/- का अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही की आख्या दी गई है।


पार्टनर, मैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2023 में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मौके पर अतिरिक्त पाई गई उपखनिज की मात्रा 1091.14 घ0मी0 पर देय अर्धदण्ड की धनराशि रू०-3,36,071/-ई-चालान सं०-08531222E0045103 दिनांक 28.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि जमा कर दिये जाने के कारण उक्त उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई रक्नना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार द्वारा उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि रू०-3,36,071/-ई-चालान सं०-08531222E0045103 दिनांक 28.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई रक्नना आई0डी0 चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित केशर स्वामी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संघित की जाय।

दिनांक- 30.01.2023




अहमजत
न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार


(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार सत्य प्रतिलिपि

वाद संख्या: 35 /2022

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
गैसर्स किसान स्टोन केशर, महतौली, लकसर
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाग

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार एवं तहसीलदार लकसर व राजस्व विभाग की टीम द्वारा गैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली के संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 07.07.2022 के संबंध में प्रस्तुत आख्या के अन्तर्गत उक्त स्टोन केशर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश में अवैध खनन पाये जाने के कारण केशर को सीज करते हुए ₹0-9,78,713/- का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। इस संबंध में उक्त स्टोन केशर स्वामी द्वारा उक्त अधिरोपित राशि ₹0-9,78,713/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धन तत्काल जमा कराकर स्टोन केशर को सीजमुक्त करने की प्रार्थना की गई। इस संबंध में सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-313/भू0खनि0ई0-/हरि0/-2022 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्टोन केशर स्वामी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये अनुरोध के कम में उक्त अधिरोपित राशि ₹0-9,78,713/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि ₹0-2,45,000/- कोषागार चालान सं0-08530722E0037349 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया गया है जिसके दृष्टिगत उक्त केशर को सीजमुक्त किये जाने पर विचारार्थ आख्या दी गई है।

अतः सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-313/भू0खनि0ई0/हरि0/-2022 दिनांक 19.07.2022 के कम में गैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली लकसर के द्वारा उक्त अधिरोपित राशि ₹0-9,78,713/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि ₹0-2,45,000/- कोषागार चालान सं0-08530722E0037349 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त किये जाने की अनुमति दी जाती है एवं स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अवशेष राशि एक माह के भीतर निर्धारित राजकीय इकाई में जमा कराना सुनिश्चित करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, राजस्व भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वस्तु सुनवाई दिनांक 19.08.2022 को पेश होंगे।


सत्य प्रतिलिपि

RSW

अहलगाद

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।
19.07.2022



संख्या- 08 /अहलमद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 09 /2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स वानिया स्टोन केशर,
ग्राम महतौली
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स वानिया स्टोन केशर
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 2375.5 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 1044.56 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1226.484 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,71,708/-अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =₹0-1,71,708/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भूखनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रतः कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभावी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

वाद संख्या:

58/2022

उत्तर

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला गणित्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

संख्या: 614 /रीडर दिनांक 03.11.2023

1124
08/11/23

नाम

आदेश

उत्तराखण्ड खनिज(अथैव खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली 2020 प्रबंधक/स्वागी, मै० वानिया स्टोन केशर, महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार ।

उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई, हरिद्वार की आख्या संख्या-998/भू०ख०ई०/हरि० दिनांक 03.09.2020 एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या संख्या-1489/एस०टी० दिनांक 31.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.08.2020 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गुज्जफरपुर गुजरा निकट महतौली में स्थित वानिया स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में उपलब्ध खनिज सामग्री पैमाईश के अनुसार 2150.21 टन पाई गई है एवं वानिया स्टोन केशर के ई-रवन्ना पोर्टल पर उपखनिज का अंतिम स्टॉक 380.06 टन है। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में ई-रवन्ना पोर्टल पर दर्शित मात्रा के सापेक्ष 1770.15 टन उपखनिज सामग्री अधिक पायी गई है। स्टोन केशर के प्रतिनिधि द्वारा सी०टी०ओ० उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्षेत्रीय नियंत्रण बोर्ड रुड़की द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि वानिया स्टोन केशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सी०टी०ओ० निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान तीन कैमरे चलते हुये मिले परन्तु स्टोन केशर के प्रतिनिधि श्री साधूराम निवासी ग्राम महतौली द्वारा सी०सी०टी०वी फुटेज(सी०डी०) उपलब्ध नहीं कराई गयी। पूर्व में दिनांक 28.07.2020 की गई जांच में वानिया स्टोन केशर परिसर में 782.50 घ०मी० अर्थात् 1721.50 टन उपखनिज पाया गया था। सी०सी०टी०वी फुटेज(सी०डी०) उपलब्ध न कराने तथा पूर्व में निरीक्षण के समय उपखनिज की मात्रा एवं वर्तमान में उपखनिज की मात्रा में भिन्नता होने के कारण वानिया स्टोन केशर को सीज कर स्टोन केशर के प्रतिनिधि की सुपुर्गा में दे दिया गया है। उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा उक्तानुसार संबंधित पर रू० 2,00,000 तक अर्थदण्ड तथा 804.62 घ०मी० उपखनिज पर विक्रय मूल्य 8,19,550 कुल रू० 8,19,550 की धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई करते हुये आदेश संख्या-529/एम०एम०ए० दिनांक 18.12.2020 द्वारा विपक्षी द्वारा सी०टी०ओ० की प्रति न प्रस्तुत किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा किये गये स्टोन केशर के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करते हुये विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2020 को निरस्त करते हुये प्रबंधक/स्वागी मै० वानिया स्टोन केशर, महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर कुल रू० 8,19,550 की धनराशि अधिरोपित करते हुये एक माह के भीतर जमा कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

विपक्षी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मा० न्यायालय, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल शिविर देहरादून में अपील योजित की गई। मा० न्यायालय, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2021 के अंतर्गत अपील संख्या-15/2020-21 मै० वानिया स्टोन केशर बनाम सरकार में प्रश्नगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपेक्षित आदेश दिनांक 18.12.2020 निरस्त करते हुए विधिसम्मत निस्तारण करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी को नियमानुसार नोटिस तांगिल है। विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

गैर पत्रावली का परिशीलन किया। उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई, हरिद्वार की आख्या संख्या-998/भू०ख०ई०/हरि० दिनांक 03.09.2020 एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या संख्या-1489/एस०टी० दिनांक 31.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.08.2020 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गुज्जफरपुर गुजरा निकट महतौली में स्थित वानिया स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में उपलब्ध खनिज सामग्री

—2—

वेमाईश के अनुसार 2150.21 टन पाई गई है एवं वानिया स्टोन केशर के ई-खन्ना पोर्टल पर उपखनिज का अंतिम स्टॉक 380.06 टन है। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में ई-खन्ना पोर्टल पर 1770.15 टन उपखनिज सामग्री अधिक पायी गई है। स्टोन केशर के प्रतिनिधि द्वारा सी0टी0ओ0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्षेत्रीय नियंत्रण बोर्ड रुड़की द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि वानिया स्टोन केशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सी0टी0ओ0 निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान तीन कैमरे चलते हुये मिले परन्तु स्टोन केशर के प्रतिनिधि श्री साधूराम निवासी ग्राम महतौली द्वारा सी0सी0टी0वी फुटेज(सी0डी0) उपलब्ध नहीं कराई गयी। पूर्व में दिनांक 28.07.2020 की गई जांच में वानिया स्टोन केशर परिसर में 782.50 घ0मी0 अर्थात् 1721.50 टन उपखनिज पाया गया था। सी0सी0टी0वी फुटेज(सी0डी0) उपलब्ध न कराने तथा पूर्व में निरीक्षण के समय उपखनिज की मात्रा एवं वर्तमान में उपखनिज की मात्रा में भिन्नता होने के कारण वानिया स्टोन केशर को सीज कर स्टोन केशर के प्रतिनिधि की सुपुदगी में दे दिया गया है। विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या के आधार पर उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2020 में दिये गये प्राविधानों के तहत विपक्षी प्रबंधक/स्वामी, श्री वानिया स्टोन केशर, महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर रू0 2,00,000.00 का अर्थदण्ड तथा 1771.15 टन अर्थात् 804.61 घ0मी0 उपखनिज उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना धनराशि $804.61 \times 154 \times 5 =$ रू0 6,19,550 कुल रू0 8,19,550 (रू0 आठ लाख उन्नीस हजार पांच सौ पचास मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। तथा विपक्षी उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आरोपित धनराशि एक माह के भीतर निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त आरोपित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जाये। इस आदेश की एक प्रति विपक्षी एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर तथा जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली-2020 होवे।
दिनांक 03.11.2023

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)


अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

प्रतिलिपि—तहसीलदार, लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित को उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को तानिल कराकर तामिली आख्या तत्काल इस न्यायालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।





संख्या- 04 /अहलमद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 05 /2024

सरकार

बनाम

घारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स हाईवे कन्सट्रक्शन एण्ड केशर,
ग्राम फतवा
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो/स्वामी,
मैसर्स हाईवे कन्सट्रक्शन एण्ड केशर,
ग्राम फतवा,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की शपथ दिनांक 20.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 11403.45 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 9552.82 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 895.348 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रु०-1,25,349/-अर्थदण्ड अविरोधित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रु०-1,25,349/-अर्थदण्ड की धनराशि अविरोधित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भूखनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

संख्या:

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

संख्या: 63 /रीडर दिनांक 03.11.2023

94/2022

सरकार

1/20 बनाम
06/11/23

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021 प्रबंधक/स्वामी, मै0 हाईवे स्टोन केशर, ग्राम रामपुर रायघाटी अ0,तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या संख्या 2977/पी0ए0/उ0जि0अ0/ खनन-2022 दिनांक 02 जुलाई, 2022 के अनुसार राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध करायी गई। तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्वीकृत हाईवे स्टोन केशर के पूरब दिशा में बाउण्ड्री से बाहर रामपुर रायघाटी अहतमाल स्थित भूमि खसरा संख्या 3म से हाईवे स्टोन केशर द्वारा 25730 घ0मी0 उपखनिज (बालू मिश्रित बोल्टर) का अवैध रूप से खनन किये जाने पर अवैध खनन नियमावली 2021 के प्राविधानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त जांच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई। प्रकरण में विपक्षी को नियमानुसार नोटिस प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा आपत्ति के अतिरिक्त कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या दिनांक 02 जुलाई, 2022 के अनुसार तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्वीकृत हाईवे स्टोन केशर के पूरब दिशा में बाउण्ड्री से बाहर रामपुर रायघाटी अहतमाल स्थित भूमि खसरा संख्या 3म से हाईवे स्टोन केशर द्वारा 25730 घ0मी0 उपखनिज (बालू मिश्रित बोल्टर) का अवैध रूप से खनन किया गया है। विपक्षी द्वारा आपत्ति के अतिरिक्त कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या के आधार पर उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के तहत विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै0 हाईवे स्टोन केशर, रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर 25730 घनमी0 आर0बी0एम0 की रायल्टी का दो गुना धनराशि 25730X 154 X 2=कुल रू0 1,58,49,680.00 (एक करोड़ अठावन लाख उड़नचास हजार छह सौ अस्सी मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। तथा विपक्षी उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आरोपित धनराशि एक माह के भीतर निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त आरोपित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जाये। इस आदेश की एक प्रति विपक्षी एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर तथा जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली 4040 होंगे।

दिनांक 03.11.2023

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित को उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को तत्काल तामिल कराकर तामिली आख्या तत्काल इस न्यायालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

संख्या- 821 / खनन राहगो-2021 दिनांक 05/04/2022

कार्यालय / न्यायालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

बाद संख्या 433 / 2022

धारा-विक्रम, विभाग 14-5(क) एवं 14-5(ख) तत्सारांशक खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) विधायक 2021 हाईवे स्टोन केशर स्वामी शिवि गर्ग पत्नी प्रमोद गर्ग मि०-सिविल लाईन रुडकी जिला हरिद्वार। मौजा-सगपुर रायघाटी अहा तहसील लकरसर जिला हरिद्वार।

शरकार इनम

कारण दाता को नोटिस

हाईवे स्टोन केशर, स्वामी शिवि गर्ग पत्नी प्रमोद गर्ग, मि०-सिविल लाईन रुडकी जिला हरिद्वार। स्थान-मौजा सगपुर रायघाटी अहा तहसील लकरसर जिला - हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लकरसर को संख्या-2873/2021 दिनांक 17/01/2022 में लिखित आदेश प्रस्तुत की गई है कि न्याय तहसीलदार लकरसर की आदेश दिनांक 22/12/2021 के अनुसार तहसील लकरसर मौजा-रायघाटी हाईवे कन्स्ट्रक्शन ग्राहनी/स्टोन केशर में अवैध खनिजों के खनन प्रमाण कि आपके द्वारा ग्राम सगपुर रायघाटी अहाताल स्थित भूमि में केशर रायघाटी की सीमा दूसरी रायघाटी में अर्थात् संख्या-3/19 संख्या 0041 हे० में गहरा खोदकर 810 घ०मी० आ०मी० एम० का अवैध रूप से खनन किया गया है। इन कारण निरोधक आदेश संलग्न करते हुए आपको विरुद्ध खनिज विधायक 2021 के अंतर्गत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

उक्त कृमि के लिए आप न अपना विरुद्ध तत्सारांशक आदेश औद्योगिक विकास(खनन) अध्याय 1 अधिसूचना संख्या-1074/VII/1 2021 संख्या 12/10/2021 दिनांक 10 नवम्बर 2021 के द्वारा पर्याप्त तत्सारांशक खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) विधायक 2021 के विभाग-14 (5)(क) में दिगे को प्राधिकारों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अवैध खनन को गह आ०मी० एम० की मात्रा 810 घ०मी० की समतली अन्तर्गत 810x154x2= ₹2,49,480/- (दोपहरे दो लाख चौसठहें हजार आठ सौ अठ्ठासठ) आपको विरुद्ध अतिरिक्त कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पत्र/उत्तर अतिरिक्तिय साध्य सहित नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं प्रथम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें। यदि निगत अवधि में आपका उत्तर साध्य सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर सतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रकरण में नियमानुसार अधिम कार्यवाही कर दी जायेगी।


(विनय शिंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-उप जिलाधिकारी लकरसर।
- 2-तहसीलदार लकरसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित को तत्काल तानील कराकर तारीखी आध्य इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3-सहायक सू-पैमानिक सूक्ष्म एवं खनिजों इकाई हरिद्वार को सूचनाएं एवं ई-रकना पोर्टल को बन्द किये जाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या:- 153 अहलमद-2023 दिनांक 14 जुलाई 2023

संख्या: 228

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स हाईवे स्टोन केशर

ग्राम फतवा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो०

मैसर्स हाईवे स्टोन केशर

ग्राम फतवा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-775/पी०ए०/उ०जि०ल० -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 09.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै हाईवे स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 12070.65 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-स्वान्ना पोर्टल पर 9329.52 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 932.952 टन कुल 10262.472 टन होता है। इस प्रकार मै हाईवे स्टोन केशर में मौके पर 1808.178 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 2,53,145/-रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

व्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-1/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 2,53,145/-अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्त के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

- 1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-स्वान्ना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4-प्रभारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Suspended



14
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

संख्या- 1130 /अहलमद-2023 दिनांक 13.3.2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 142 /2023

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020

राजकार



बनाम

कारण बताओ नोटिस

मैसर्स हाईवे स्टोन केशर
रानी कपूर पुत्र सुमन कपूर नि०-कपूर विला
कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार।
(मैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

श्री सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर,
नि०-कपूर विला, कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार (मैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

उप जिलाधिकारी लखनऊ के पत्रांक-457 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से प्राप्त राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी श्री अमित पांडी पुत्र श्री राजकुमार पांडी नि०-716 सादव पुरी रामनगर रुड़की जिला हरिद्वार के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 में अवगत कराया गया कि आपके द्वारा प्रार्थी की ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल में स्थित भूमि खसरा सं०-3/17 में बिना अनुमति के आर०बी०एन० का अवैध खनन किया गया है। उक्त भूमि के कुछ भाग पर मशीन द्वारा अवैध खनन कर गहरे गड्ढे कर दिये हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी गहराई की पानी में डण्डे से पैमाईश की गई। उक्त की पैमाईश के अनुसार अपेक्षित रूप से 9540घ०मी० आर०बी०एन० का अवैध खनन किया गया है, इस कारण आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार कार्यवाही हेतु आख्या दी गई है।

उक्त कृत्य के लिए वर्यो न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 9540घ०मी०×154×2=रु०-29,38,320/- अर्धदण्ड की धनराशि अधिसूचित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रस्तुत/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।

13/03

(विनय शंकर पाण्डेय)

जिला मजिस्ट्रेट

हरिद्वार।

प्रतिनिधि-

- 1-तहसीलदार लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवेज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को उक्त स्टोन केशर का ई रवन्ना पोर्टल बन्द करने की कार्यवाही हेतु।
- 3-प्रभावी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

13/03

जिला मजिस्ट्रेट

हरिद्वार।

संख्या- 1130 /अहलमद-2023 दिनांक 13.3.2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 142 /2023

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020

सरकार



बनाम


कारण बताओ नोटिस

मैसर्स हाईवे स्टोन केशर
सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर नि०-कपूर विला
कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार।
(मैसर्स हाईवे स्टोन केशर)श्री सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर,
नि०-कपूर विला, कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार (मैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

उप जिलाधिकारी लकसर को पत्रांक-457 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से प्राप्त राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी श्री अमित पांथी पुत्र श्री राजकुमार पांथी नि०-718 गायद पुरी रामनगर रुड़की जिला हरिद्वार के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 में अवगत कराया गया कि आपके द्वारा प्रार्थी की ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल में स्थित भूमि खसरा सं०-3/17 में बिना अनुमति के आर०बी०एन० का अवैध खनन किया गया है। उक्त भूमि के कुछ भाग पर मशीन द्वारा अवैध खनन कर गहरे गड्ढे कर दिये हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी गहराई को पानी में उण्डे से पैमाईश की गई। उक्त की पैमाईश के अनुसार अवैध रूप से 9540घ०मी० आर०बी०एन० का अवैध खनन किया गया है, इस कारण आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार कार्यवाही हेतु आख्या दी गई है।


उक्त कृत्य के लिए रयों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 9540घ०मी०×154×2=रु०-29,38,320/- अर्धदण्ड की धनराशि अधिसंचित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित रयों अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।


(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रावधान-1-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर, तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, मू०खनि०ई०, हरिद्वार को उक्त स्टोन केशर का ई रवन्ना पोर्टल बन्द करने की कार्यवाही हेतु।
- 3-प्रभाषी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।


जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

237
वाद सं० /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह
नि०-कबूलपुरी रायघटी तहसील-लकसर जिला-हरिद्वार।आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-333/ दिनांक 25.07.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.06.2023 को विभागीय दल द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी स्थित अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी के पक्ष में स्वीकृत रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भण्डारण परिसर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 852.5 टन उपखनिज अधिक पाया गया है जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1,19,350/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। उक्त के कम में रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.08.2023 जारी किया गया। विपक्षी अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2023 के साथ उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू०-1,19,350/- ई-चालान सं०-08530823E0036336 दिनांक 14.08.2023 प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त आरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित सम्पूर्ण धनराशि रू०-1,19,350/- जमा कर दिये जाने के कारण उक्त उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21.08.2023 के अनुसार उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि रू०-1,19,350/- ई-चालान सं०-08530823E0036336 दिनांक 14.08.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने व ई-रवन्ना पोर्टल चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-25 अगस्त,2023

11/8
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



उपलब्ध
न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

वाद संख्या 60/2024

सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

बनाम

घात-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री ललित कुमार

ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रोखांनअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉब आख्या पत्रांक संख्या 1025/भूखणनि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री ललित कुमार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष भौके पर 62.613टन उपखनिज कम पाया गया जिस कारण नियमावली के प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री ललित कुमार के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कम पाये गये उपखनिज 62.613टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि 8,766/-ई चालान संख्या 08530224E0013346 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखासीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स प्रो० श्री विनोद कुमार रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 8,766/-ई चालान संख्या 08530224E0013346 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखासीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवना पोर्टल घालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार, सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवरयक कार्यवाही अभिलेखागार में संघित की जाय।

दिनांक 7/फरवरी/2024

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

द.सं- १५१ /2023

सरकार

बनान

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मै0 देवभूमि इण्टरप्राईजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-898/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 09.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राईजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 56.853 टन उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रु0-7,959/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री संजय कुमार मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राईजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु0-7,959/- ई-चालान सं0-08531023E022426 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राईजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु0-7,959/- ई-चालान सं0-08531023E022426 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 13 अक्टूबर, 2023

५५
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

कु0 रजि
113/10/2023



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार
 वाद संख्या 49/2024
 सरकार बनाम
 धारा-विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
 उत्तराखण्ड खनिज(अद्वैत खनन,परिवहन एवं
 मण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
 मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स प्रो० इरफान अहमद
 ग्राम अहमदपुर चिडिया
 तहसील व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 945/चरि०वै०सहा०-अद्वैत खनन 2023-2024 दिनांक 20.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13.01.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम अहमदपुर चिडिया परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स रिटेल मण्डारण द्वारा प्रो० इरफान अहमद रिटेल मण्डारण का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल मण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष चौके पर 764.796टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स द्वारा प्रो० इरफान अहमद रिटेल मण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2024 प्रस्तुत कर अवनत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 764.796टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 1,07,071/-ई चालान संख्या 08530124E0042001 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स रिटेल मण्डारण द्वारा प्रो० इरफान अहमद रिटेल मण्डारण स्थित ग्राम अहमदपुर चिडिया परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,07,071/-ई चालान संख्या 08530124E0042001 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रचना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा मण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पत्रावर उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संवधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 7/2/2024

(धीराज सिंह गर्वाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

आदेश संख्या 63/2024

सरकार

बनान

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं


भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री अनिल कुमार,

ग्राम कलसिया,

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार

आदेश



आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रमुखानधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1026/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 27.01.2024 को खनन विभाग द्वारा ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में रिशत मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर रिटेल भण्डारण का दिनांक 11.01.2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान मौके पर 234टन उपखनिज पाया गया जबकि पोर्टल पर 230.80टन उपखनिज दर्जित पाया गया, जो 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर है। क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की शिकायत के दृष्टिगत मौके पर रिटेल भण्डारण को सीज किया गया है। उक्त के क्रम में मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार रिटेल भण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार स्थित ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रयन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 13/फरवरी/2024



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

क्र. सं- 261 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021.

सरकार

बनाम

प्रो श्री अनिल कुमार मै० वैष्णो इण्टरप्राईजेस रिटेल
भण्डारण ग्राम-कलसिया तहसील लकसर व जिला
हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-981/ पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कलसिया स्थित मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राईजेस रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 775.9 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1,08,626/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है प्रो० श्री अनिल कुमार पुत्र भोपाल सिंह नि०-ग्राम कलसिया लकसर हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1,08,626/- ई-चालान सं०-08531123E0040248 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री अनिल कुमार पुत्र भोपाल सिंह नि०-ग्राम कलसिया लकसर हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1,08,626/-ई-चालान सं०-08531123E0040248 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई स्वन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 22 नवम्बर, 2023



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं- 256 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण,
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

C35

16/10/2023

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-904/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 605.285 टन रेत उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-84,740/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्रार्थी रोहित कुमार, मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लकसर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू0-84,740/- ई-चालान सं0-08531023E0033477 दिनांक 16.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री रोहित कुमार मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लकसर जिला हरिद्वार के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू0-84,740/- ई-चालान सं0-08531023E0033477 दिनांक 16.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्दिष्ट किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करे। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-16 अक्टूबर, 2023

॥
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



30/2/2023

Pradip
16/10/2023

भण्डारण

वाद संख्या: १७९ / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार.

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 985/वै0सहा0-अवैध खनन 2023 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 08.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 317.26टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 317.26टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 44,417/-ई चालान संख्या 08531223E0043449 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 44,417/-ई चालान संख्या 08531223E0043449 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-स्वन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक नू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन क्वेशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक १८/दिसम्बर/2023



॥
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 159 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-569/पी0ए0/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चौहान ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 495 टन रेत(उपखनिज) पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 254.95 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 25,495 टन कुल 280,445 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 214,555 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस पर उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-30,038/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ट्रेडिंग की अनुज्ञापत्र के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा।

श्री रोहित मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू०-30038/-ई-चालान सं०-08530423E0048370 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री रोहित मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 द्वारा उक्त आरोपित अर्धदण्ड की धनराशि रू०-30038/-ई-चालान सं०-08530423E0048370 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी मविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-01.04.2023

कुं रम
④ इ प्रभार
पत्र
01/04/2023

Rpkw

अहलमद

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

संख्या: 228/2022-23

संख्या - 322/रीसर/2023

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी चौहान ट्रेडिंग
कम्पनी(रोहित चौहान)भिवकमपुर
जीतपुर तहसील लक्सर, जिला
हरिद्वार।

सरकार



बनाम


आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-494/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 14.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिजकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम भिवकमपुर जीतपुर स्थित रिटेल भण्डारण चौहान ट्रेडिंग कम्पनी(रोहित चौहान) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 238.84 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रु0 73,563.00(तिहत्तर हजार पांच सौ तिरेसठ) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति तहत प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2023 प्रस्तुत कर अधिरोपित जुर्माना जमा कराकर पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। उप जिलाधिकारी, लक्सर ने विपक्षी उपरोक्त पर निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 238.84 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाये जाने के दृष्टिगत रु0 73,563.00(तिहत्तर हजार पांच सौ तिरेसठ) की धनराशि आरोपित की गई है। जिसे विपक्षी द्वारा ई-चालान दिनांक 14.03.2023 द्वारा एस0बी0वाई0 में जमा कर दिया गया है। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान-अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंवे।

दिनांक 14.03.2023


(दीन सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

वाद संख्या: 62/2024

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता


ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

आदेश



आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रोखानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉब आख्या पत्रांक संख्या 1025/भूखनि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 27.01.2024 को खनन विभाग द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर रिटेल भण्डारण का दिनांक 11.01.2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान मौके पर 5.4टन उपखनिज पाया गया जबकि पोर्टल पर 5.80टन उपखनिज दर्शित पाया गया, जो 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर है, क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की शिकायत के दृष्टिगत मौके पर रिटेल भण्डारण को सीज किया गया है। उक्त के कम में मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर निवासी ग्राम कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार रिटेल भण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर निवासी ग्राम कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में उक्त रिटेल भण्डारण को को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 13/फरवरी/2024



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

वाद सं- 263 /2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सरकार

बनाम

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

प्रो श्रीमती कविता मै० मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल
भण्डारण ग्राम-भिवकमपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।
आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-982/ पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिवकमपुर स्थित मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मीके पर 13.271 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1872/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्रो० श्रीमती कविता पत्नी नन्दकिशोर मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण ग्राम-भिवकमपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1872/- ई-चालान सं०-08531123E0040269 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः प्रो० श्रीमती कविता पत्नी नन्दकिशोर मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण ग्राम-भिवकमपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1872/- ई-चालान सं०-08531123E0040269 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-२२ नवम्बर,2023




(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

बाद संख्या: 245/2022-23

न्यायालय अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

क्र. - 263/रीए/2023

सरकार



बनाम

आदेश

घारा-विविध/नियम 14-5(क)(अ)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नियम-2021
मै0 मों दुर्गा इंटरप्राइजेस, भण्डारण तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

सहायक भू वैज्ञानिक/प्रोखान अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या संख्या-07/भू0खनि0ई0/हरि0 दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार के नेतृत्व में खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर स्थित मै0 मों दुर्गा इंटरप्राइजेस भण्डारण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 234.99 टन उपखनिज अधिक पाया गया। सहायक भू वैज्ञानिक/प्रोखान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रु0 32,898.00 (रु0 बत्तीस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) का अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै0 मों दुर्गा इंटरप्राइजेस भण्डारण, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा सहायक भू वैज्ञानिक, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रु0 32,898.00 (रु0 बत्तीस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 28.04.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला खान अधिकारी, हरिद्वार सीज खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होवे।
दिनांक 28.04.2023

कुं राशि

आवधिके उपरुधे
Portel को

Pradeb
29/04/2023

28/4/23

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।



न्यायालय

वाद संख्या: 90/2024

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रमुखानधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जाँच आख्या पत्रांक संख्या 1096/भूख0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 13.02.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी का औषक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 75.868टन उपखनिज कम पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कम पाये गये उपखनिज 75.868टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि 10,622/-ई चालान संख्या 08530224E0024192 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 10,622/-ई चालान संख्या 08530224E0024192 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्द पोर्टल घालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हों। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रणारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली याद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 13/फरवरी/2024

डि. रवनी
डि. रवनी पोर्टल 08/02/2024



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

विभाग
उम्मेद आउटरा ना सीमा मुक्त
उम्मे उम्मे शास्त्रा 1/

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 264 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण
ग्राम-भिकमपुर जीतपुर तहसील लकसर व

जिला -हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-984/ पी0ए0-च0जि0ल0 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिकमपुर जीतपुर में मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 494.932 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार रु०-69,289/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अनिल कुमार पाल मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण भिकमपुर जीतपुर लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2023 में अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रु०-69289/- ई-चालान सं०-08531123E0049377 दिनांक 29.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री अनिल कुमार पाल मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण भिकमपुर जीतपुर लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2023 के अनुसार उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रु०-69289/- ई-चालान सं०-08531123E0049377 दिनांक 29.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई रक्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करे। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:-०१-१२-२०२३

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

आदेश सं- 252 /2023

933

सरकार

बनाम 13/10/23

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
नियारण) नियमावली 2021
मै0 नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-902/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 61.128 टन उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-8,558/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अनिल कुमार मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू0-8,558 /- ई-चालान सं0-08531023E023003 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू0-8,558 /- ई-चालान सं0-08531023E023003 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 13 अक्टूबर, 2023



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

30/2/23
Pradip
13/10/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 161 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त वाद के तथ्य इस प्रकार है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-587/पी०ए०/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी(अनिल कुमार पाल) रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 355.2 टन उपखनिज पाया गया जबकि ई स्वन्ना पोर्टल पर 120.5 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 12 टन कुल 132.5 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 223.15 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-31241/- अर्थदण्ड अविरोधित किये जाने की आख्या सी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। श्री मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-31241/-ई-चालान सं०-08530423E0048356 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई स्वन्ना आई०डी० चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मै० नटराज ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 द्वारा उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-31241/-ई-चालान सं०-08530423E0048356 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई स्वन्ना पोर्टल चालू किये जाने की निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-01/05/2023

को.सं. 587/पी०ए०/2023
जारी कर
Pradeep
26.04.2023




अहलगद

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

विनय शंकर पाण्डेय
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

Affidavit Print
out from
Pradeep K. Chandra



संख्या - 335/रीडर/2023

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

संख्या: 237/2022-23

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल नटराज ट्रेडिंग
कम्पनी(अनिल कुमार पाल) ग्राम
भिवकमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर,
जिला हरिद्वार।

संख्या

बनाम

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-502/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम भिवकमपुर जीतपुर स्थित रिटेल भण्डारण नटराज ट्रेडिंग कम्पनी(अनिल कुमार पाल) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 239.3 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 73,704.00 (तिहत्तर हजार सात सौ चार मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर/जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा कराने को तैयार है।

अतः विपक्षी प्रबंधक/स्वामी नटराज ट्रेडिंग कम्पनी(अनिल कुमार पाल) ग्राम भिवकमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 73,704.00 (तिहत्तर हजार सात सौ चार मात्र) निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार अधिरोपित धनराशि जमा होने के पश्चात ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार अप्रैतत कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली 2020 होवे।
दिनांक 16/03/2023

कुंवर
Pradeep

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

EU90314912 011

सम्भारण

बाद संख्या: 271/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

सरकार

दनाम

घर-विदेव/नियन 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज ग्राम बाकरपुर
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जाँच अध्या पत्रांक संख्या 999/वै0साहा0-अवैध खनन 2023 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 21.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम बाकरपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज द्वारा प्रो श्री आशुतोष सिंह विष्ट पुत्र श्री शंकर सिंह का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईरा के दौरान पोर्टल के सापेक्ष चौके पर 299.464टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पड़ी है। उक्त के क्रम में मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज रिटेल भण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 299.464टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 41,925/-ई चालान संख्या 08531223E0052480 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।


अतः मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम बाकरपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 41,925/-ई चालान संख्या 08531223E0052480 दिनांक 27.12.2023के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करे। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में सूचित की जाय।
दिनांक 18 / दिसम्बर / 2023



16
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- १५० /2023



सरकार

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

मै० आशुतोष इण्टरप्राइजेस ग्राम रणजीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-597 दिनांक 04.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 26.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस, ग्राम रणजीतपुर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष गीके पर 158.58 टन रेत उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार रु०-22,202/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस रणजीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु०-22,202/-ई-चालान सं०-08530423E006177 दिनांक 04.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण को चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस ग्राम रणजीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु०-22,202/-ई-चालान सं०-08530423E006177 दिनांक 04.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करे। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक: 04 अक्टूबर, 2023

C/7 No: 11/23/10/23



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

30/2/24

Pradeep
10/10/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं- 167 /2023

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
नियंत्रण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० आशुतोष इण्टरप्राइजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त वाद के तथ्य इस प्रकार है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-586/पी0ए0/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस, भिक्कमपुर जीतपुर रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 927 टन रेत उपखनिज पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 416.7 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 41.6 टन कुल 458.37 टन होता है। इस प्रकार भौके पर 468.63 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रु०-65,608/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा भौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु०-65608/-ई-चालान सं०-08530423E0049819 दिनांक 27.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 के अनुसार उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रु०-65608/-ई-चालान सं०-08530423E0049819 दिनांक 27.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अधिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 01 05 2023

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

हरिद्वार

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट



2023
ई-चालान सं०
13 जी०
Paadep
102/05/2023

पाप संख्या: 258/2023

सरकार

कनाग

आदेश

न्यायालय अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

दिनांक 03.06.2023

पारा-विधिव/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नियम- 2021
श्री 0 राकेश कॉन्ट्रेक्टर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-679/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 03.06.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघाटी स्थित श्री 0 राकेश कॉन्ट्रेक्टर भण्डारण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1007.578 टन उपखनिज अधिक पाया गया। उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू0 1,41,061 (रू0 एक लाख इक्तालीस हजार इक्सठ मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी श्री 0 राकेश कॉन्ट्रेक्टर भण्डारण ग्राम रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार ने उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 1,41,061 (रू0 एक लाख इक्तालीस हजार इक्सठ मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 03.06.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः जिला खान अधिकारी, हरिद्वार पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होवे।

दिनांक 03.06.2023

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

बाद सं-236/2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक राकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह
ग्राम-रामपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला-हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-331/ दिनांक 25.07.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 16.07.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी स्थित रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार नि-जैतपुर तहसील लकसर को स्वीकृत रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भण्डारण परिसर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मोके पर 730.819टन उपखनिज अधिक पाया गया है जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार ₹0-1,02,315/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। उक्त के कम में रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक राकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.08.2023 जारी किया गया। विपक्षी अनुज्ञाधारक राकेश कुमार द्वारा उक्त के कम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त अधिरोपित राशि ₹0-1,02,315/- ई-चालान सं-08530823E0065828 दिनांक 26.08.2023 द्वारा जमा कर दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-पोर्टल खोले जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः अनुज्ञाधारक राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त अधिरोपित राशि ₹0-1,02,315/- ई-चालान सं-08530823E0065828 दिनांक 26.08.2023 द्वारा जमा कर कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-खन्ना पोर्टल चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 29 अगस्त, 2023

14
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



आदेश

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार

न्यायालय

29/4/2023

सं. 364/वी.ए.ए. / 2023
वेतन एवं राजस्व) हरिद्वार।घारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखंडखनिज(अवैध खनन,परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण)नि०- 2021
मै० राकेश कान्द्रेक्टर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

आदेश

सहायक भू वैज्ञानिक/प्र०खान अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या सं. 109/ग०खनि०ई०/हरि० दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खान निरीक्षक, लक्सर एवं लॉनिकर्म इकाई, हरिद्वार के नेतृत्व में खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघाटी स्थित मै० राकेश कान्द्रेक्टर भण्डारण का औद्योगिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पॉर्टल के आगे गोके पर 431.333 टन उपखनिज अधिक पाया गया। सहायक भू वैज्ञानिक/प्र०खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) का धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै० राकेश कान्द्रेक्टर भण्डारण ग्राम रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा सहायक भू वैज्ञानिक, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 29.04.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला खान अधिकारी, हरिद्वार सीज/पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द०द० होंगे।

दिनांक 29.04.2023

29/4/23

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

कुठरासि
जान पे ७ 313 का ५ के
स्वयंर टोमण (की पोस्टल
वित्त
29/4/2023

संख्या:

247/2022-23

न्यायालय अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

सं. 364/वी.सं./2023

सारकार



बनाम

आदेश

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नि०-2021
श्री० राकेश कान्देक्टर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

सहायक भू वैज्ञानिक/प्र०खान अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या संख्या-09/भू०खनि०ई०/हरि० दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार के नेतृत्व में खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघाटी स्थित श्री० राकेश कान्देक्टर भण्डारण को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोटल के सापेक्ष मौके पर 431.333 टन उपखनिज अधिक पाया गया। सहायक भू वैज्ञानिक/प्र०खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी श्री० राकेश कान्देक्टर भण्डारण ग्राम रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा सहायक भू वैज्ञानिक, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 29.04.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला खान अधिकारी, हरिद्वार सीज/पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द०द० होंगे।
दिनांक 29.04.2023

29/4/23

(पीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

कुबेरा
उपसर
एन
29/4/23

संख्या-77 /आर0री0-2023 दिनांक 05.09.2023

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

काद संख्या: 188 /2022-23

सरकार

बनाम

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
नियंत्रण)नियमावली 2021
श्री गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० अजय
कुमार निवासी गहतौली तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

वसूली प्रमाण पत्र

सेवा में,

कलेक्टर,
हरिद्वार।

महोदय,



कृपया न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2023 के अंतर्गत सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या के आधार पर उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के तहत कार्यवाही करते हुये विपक्षी उपरोक्त पर ₹0 1,63,240 (₹0 एक लाख तिरैसठ हजार दौं सौ चालीस मात्र) की धनराशि आरोपित करते हुये एक पक्ष के भीतर जमा कराये जाने हेतु विपक्षी को निर्देशित किया गया।

विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी उक्त आरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई है।

अतः प्रबंधक/स्वामी श्री गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० अजय कुमार निवासी गहतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर आरोपित धनराशि ₹0 1,63,240 (₹0 एक लाख तिरैसठ हजार दौं सौ चालीस मात्र) की वसूली भू-राजस्व की भांति 'लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी' में जमा कराकर वसूली प्रमाण पर इस न्यायालय/कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त को आरोपित धनराशि तत्काल जमा कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं धनराशि जमा होने तक उपरोक्त का ई-रवन्ना बंद कर दें।

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

श्री गुरुकृपा


प्रकारणी कर

08/09/2023

न्यायालय अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

सं. - 476/रीस्ट/23

संख्या: 188 / 2022



बनाम

धारा-विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण)वि०- 2021
श्री गुरुकुला ट्रेडिंग कंपनी प्रा० अजय
कुमार निवासी गहतौली तहसील लखसर
जिला हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या संख्या-302/
भूखनि०ई०/हरि०/2022-23 दिनांक 12 जुलाई, 2022 में प्रेषित आख्या द्वारा अवगत कराया कि खनन एवं राजस्व विभाग
के नेतृत्व में ग्राम गुजपफरपुर गुजरा तहसील लखसर में आपके पक्ष में खसरा नं०-63म रकबा 0.1855है० में स्वीकृत रिटेल
भण्डारण स्थल का मौका निरीक्षण अनुज्ञप्ति धारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया
कि भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि के आंशिक भाग में अवैध आर०वी०ए० का खनन कर उपखनिज निकाला गया है। रिटेल
भण्डारण स्वामी द्वारा भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि/स्थल के आंशिक भाग में 30 X 8 X 2-480 घ०मी० आर०वी०ए० का अवैध
खनन कर गड़दा किया गया है। भण्डारण स्थल पर मौके पर 10 X 5 X 1-50 घ०मी० आर०वी०ए० पाया गया। उक्त
आर०वी०ए० के संबंध में वांछित अभिलेख मौके पर नहीं दिखा पाये। ई-रकबा पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा 55.69 टन अर्थात्
25.31 घनमी० से अधिक पाया गया है।

विपक्षी को उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली, 2021 के
नियम-14(5) क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए विपक्षी के विरुद्ध 480 घनमी० आर०वी०ए० का
अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 154 X 2 X 480- रू० 1,47,840 (एक लाख सैतालिस हजार आठ सौ चालीस मात्र)
की धनराशि व अवैध भण्डारित 50 घनमी० पर 154 X 2 X 50- रू० 15,400.00 कुल 1,63,240.00 (एक लाख तिरसठ
हजार दो सौ चालीस मात्र) अर्धदण्ड की धनराशि जप्त की कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत कर अपना
प्रतिउत्तर/साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी द्वारा अभी तक कोई आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि विपक्षी को नियमानुसार
नोटिस तामिल है तथा सुनवाई हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। विपक्षी द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करने से
ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस संबंध में कोई रुचि नहीं है। इसलिये विपक्षी पर नियमानुसार धनराशि आरोपित किया
जाना उचित प्रतीत होता है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अपलोड किया। सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हरिद्वार की आख्या दिनांक 12 जुलाई, 2022 में प्रेषित आख्या द्वारा अवगत कराया कि खनन एवं राजस्व विभाग के नेतृत्व में
ग्राम गुजपफरपुर गुजरा तहसील लखसर में विपक्षी के पक्ष में खसरा नं०-63म रकबा 0.1855है० में स्वीकृत रिटेल भण्डारण
स्थल का मौका निरीक्षण अनुज्ञप्ति धारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि
भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि के आंशिक भाग में अवैध आर०वी०ए० का खनन कर उपखनिज निकाला गया है। रिटेल भण्डारण
स्वामी द्वारा भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि/स्थल के आंशिक भाग में 480 घ०मी० आर०वी०ए० का अवैध खनन कर गड़दा किया
गया है। भण्डारण स्थल पर मौके पर 50 घ०मी० आर०वी०ए० पाया गया। उक्त आर०वी०ए० के संबंध में वांछित अभिलेख मौके
पर नहीं दिखा पाये। ई-रकबा पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा 55.69 टन अर्थात् 25.31 घनमी० से अधिक पाया गया है। विपक्षी
द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि विपक्षी को नियमानुसार नोटिस तामिल है।
विपक्षी का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करने से ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस संबंध में कोई रुचि नहीं है। इसलिये
विपक्षी पर नियमानुसार धनराशि आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या के आधार पर विपक्षी प्रबंधक/स्वामी श्री
गुरुकुला ट्रेडिंग कंपनी, प्रा० अजय कुमार निवासी गहतौली, तहसील लखसर, जिला हरिद्वार पर उत्तराखण्ड अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के तहत कार्यवाही करते हुये 480 घनमी० आर०वी०ए० का
अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 154 X 2 X 480- रू० 1,47,840 (एक लाख सैतालिस हजार आठ सौ चालीस मात्र)
की धनराशि व अवैध भण्डारित 50 घनमी० पर 154 X 2 X 50- रू० 15,400.00 कुल 1,63,240.00 (एक लाख तिरसठ हजार
दो सौ चालीस मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। तथा विपक्षी उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त
आरोपित धनराशि एक महीने के भीतर निर्धारित लेखा शीर्षक-0853 अर्लीड धनु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती
फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा करवाकर ई-घातान की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा
की स्थिति में उपरोक्त आरोपित धनराशि भू-राजस्व की भांति गप्त की जाये। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को उक्त
आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आरोपित धनराशि जमा होने तक विपक्षी के भण्डारण स्थल का ई-रकबा
पोर्टल अंशिक आदेशों तक बंद किया जाता है। इस आदेश की एक प्रतिलिपि उपरोक्त एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को

11-
दिनांक 01.07.2023
कुं राशि
कारिगरी की
Bodab
04/07/2023

(श्रीर सिंह कुंदर्याल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

वाद संख्या: 297 /2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स प्रकाश कौरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र
ग्राम रामपुर रायघटी अहो
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उपजिलाधिकारी लकसर से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1017/पी0ए0/-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 06.12.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स प्रकाश कौरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र पुत्र श्री ओमकार सिंह रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 33.075टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स प्रकाश कौरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अधिक पाये गये उपखनिज 33.075 टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड घनराशि 4,631/-ई चालान संख्या 08530224E0030371 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स प्रकाश कौरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र पुत्र श्री ओमकार सिंह रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण घनराशि 4,631/-ई चालान संख्या 08530224E0030371 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करे। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त रटोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक २०/फरवरी/2024



18
(वीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

उ-रामपुर
मैसर्स प्रकाश कौरपोरेशन
अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण
नियमावली 2021
दिनांक 20/02/24

महत्कारण

चाद संख्या: 50/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

सरकार

खान

घास-विदिच/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण को निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर ग्राम निष्कनपुर जीतपुर

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रमुखानधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्त विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त ऑफ आख्या पत्रांक संख्या 1025/भूखनि0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम निष्कनपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर का ऑफक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैगार्शु के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मीके पर 17.972टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आज्ञा दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 17.972टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 2516/-ई घालान संख्या 08530124E0044005दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर जिला खान निष्कनपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 2516/-ई घालान संख्या 08530124E0044005दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उपरानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्त इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन फेशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। प्रशासकी चाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में सूचित की जाय।

दिनांक 07/जनवरी/2024

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।



मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर का अनुरोध
जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
विजय
श्रीधरा

भण्डारण

वाद संख्या: २७३/२०२३

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

घारा-विधि/नियम १४-५(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली २०२१
मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या संख्या ९८३/वै०सहा०-अवैध खनन २०२३ दिनांक २१.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक ०६.११.२०२३ को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष गोंके पर ४१३.५टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। ज्ञात के क्रम में मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक २०.१२.२०२३ प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज ४१३.५टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि ५७,८९०/-ई चालान संख्या ०८५३१२२३६००३७८७७ दिनांक २०.१२.२०२३ के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि ५७,८९०/-ई चालान संख्या ०८५३१२२३६००३७८७७ दिनांक २०.१२.२०२३ के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पलकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केसर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक २८/दिसम्बर/२०२३



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सं०- 254 / 2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मै० कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-206/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स कल्लूसिंह कान्द्रेक्टर रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई-पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 117.522 टन रेत उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रु०-16,453/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अनिपेक मैसर्स कल्लूसिंह कान्द्रेक्टर रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर जिला हरिद्वार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रु०-16,453/- ई-चालान सं०-08531023E0027173 दिनांक 12.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री अनिपेक मैसर्स कल्लूसिंह कान्द्रेक्टर रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर जिला हरिद्वार के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रु०-16,453/- ई-चालान सं०-08531023E00271 दिनांक 12.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 13 अक्टूबर, 2023

श्री श्री श्री
Abhishek
13/10/2023

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

वाद सं० १४०/2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, हरिद्वार।

नियम-14(5)(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021
अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कयूलपुरी
रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 1026/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 18.12.2023 द्वारा दिनांक 29.11.2023 द्वारा राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी में अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कयूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के रिटेल भण्डारण के औचक निरीक्षण की आख्या प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि रिटेल भण्डारण में मौके पर 435.6 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-स्वन्ना पोर्टल पर 152.1 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 10% 15.21टन अर्थात् कुल 167.31टन होता है। इस प्रकार मौके पर 268.39टन उपखनिज अधिक पाया गया है। औचक निरीक्षण के समय भण्डारण स्थल पर चारदीवारी नहीं पायी गयी है। भण्डारण को मौके पर सीज करते हुये ई-स्वन्ना पोर्टल को बन्द कर दिया गया है। मौके पर अधिक पाये गये 268.39टन उपखनिज पर उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अंकन रू० 37574.6 की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कयूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा दिनांक 18.12.2023 को अर्थदण्ड की धनराशि अंकन रू० 37575/- (रू० सैंतीस हजार पांच सौ पिच्छत्तर मात्र) ई-चालान संख्या-08531223E0033906 दिनांक 18.12.2023 द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0853001020100 में जमा कर चालान की प्रति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भण्डारण को रीजमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कयूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा दिनांक 18.12.2023 को अर्थदण्ड की धनराशि अंकन रू० 37575/- (रू० सैंतीस हजार पांच सौ पिच्छत्तर मात्र) ई-चालान संख्या-08531223E0033906 दिनांक 18.12.2023 द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0853001020100 में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध कराए जाने की दशा में भण्डारण को एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ रीजमुक्त किया जाता है कि अनुज्ञाधारक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा और इस आदेश के 15 दिनों के भीतर भण्डारण की चारदीवारी किया जाना भी सुनिश्चित करेगा। उप जिलाधिकारी, लक्सर 15 दिनों के भीतर भण्डारण का पुनः स्थलीय निरीक्षण कर अपनी अनुपालन आख्या स्थलीय फोटोग्राफ्स सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रमाणित प्रति, उप जिलाधिकारी, लक्सर, सहायक भू-वैज्ञानिक भूत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी (खनन) कलेक्टर, हरिद्वार व अनुज्ञाधारक को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाए।
दिनांक:- 18/12/2023



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट/
कलेक्टर,
हरिद्वार।

वाद संख्या: 51/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

सरकार

चर्चा

धारा-विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिचयन एवं
मण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स गणपति टैडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान
ग्राम रामपुर रायघटी
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रोखानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉब आख्या पत्रांक संख्या 1025/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.01.2024 को खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल मण्डारण मैसर्स गणपति टैडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अमय सिंह का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल मण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष गोकुं पर 49.041टन उपखनिज कम पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स गणपति टैडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अमय सिंह के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पाये गये उपखनिज 49.041टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 10,299/-ई चालान संख्या 08530124E0036684 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स गणपति टैडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अमय सिंह रिटेल मण्डारण स्थित ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 10,299/-ई चालान संख्या 08530124E0036684 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रचना पोर्टल चारू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा मण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रगारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक 7/जनवरी/2024



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

इ-रचना
नियंत्रण
कलक्टर
हरिद्वार
07/01/24

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं- 177 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-590/पी0ए0/42023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण भिक्कमपुर जीतपुर भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 180 टन उपखनिज पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 16.48 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 1.648 टन कुल 18.125 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 161.872 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार ₹0-22662/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि ₹0-22662/- ई-चालान सं0-08530523E0006803 दिनांक 04.05.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2023 के अनुसार उक्त आरोपित अर्धदण्ड की धनराशि ₹0-22662/- ई-चालान सं0-08530523E0006803 दिनांक 04.05.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- मई, 2023



Pym

अधिकारी

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार

Shankar Pandey
(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

Shankar
Pandey

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सं-249/2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

रिटेल भण्डारण स्थित रामपुर रायघटी, अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान
पुत्र अभय सिंह नि०-कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर जिला
हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्रांक-332/ दिनांक 25.07.2023 की छायाप्रति के साथ प्रार्थी अंकुर चौहान पुत्र अभय सिंह नि०-कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर जिला हरिद्वार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ई-चालान की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया कि दिनांक 16.07.2023 को खनन विभाग की टीम द्वारा तहसील लकसर के ग्राम रामपुर रायघटी में प्रार्थी अनुज्ञाधारक को स्वीकृत रिटेल भण्डारण के की जॉय में मौके पर 1138.9 टन उपखनिज अधिक पाये जाने के कारण ई-रवन्ना पोर्टल बन्द करते हुए रु०-1,59,166/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित राशि रु०-1,59,166/- ई-चालान सं०- 08530923F0054799 दिनांकित 27.09.2023 द्वारा जमा की जा चुकी है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-पोर्टल चालू कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त रिटेल भण्डारण अंकुर चौहान पुत्र अभय सिंह नि०-कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर जिला हरिद्वार द्वारा उक्त रिटेल भण्डारण में मौके पर 1138.9 टन उपखनिज अधिक पाये जाने के कारण अधिरोपित अर्थदण्ड रु०-1,59,166/- ई चालान सं०-08530923F0054799 दिनांकित 27.09.2023 द्वारा जमा की जा चुकी है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 30 सितम्बर, 2023

Calg. to Ad/Mo,

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

30/9/23

Pradeep
10/10/2023



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाट सं- 260 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अद्वैत खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
श्री अमरदीप रणावत, रिटेल
भण्डारण ग्राम-भिकमपुर जीतपुर तहसील लकसर व
जिला -हरिद्वार।

आदेश

प्रार्थी श्री अमरदीप रणावत पुत्र रणवीर सिंह नि०-अजयपुर कलां देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-983/ पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिकमपुर जीतपुर में श्री अमरदीप रणावत के पक्ष में स्वीकृत रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई-पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 91,737 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राधानानुसार रु०-12,844/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्र० प्रार्थी श्री अमरदीप रणावत पुत्र रणवीर सिंह नि०-अजयपुर कलां देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रु०-12,844/- ई-चालान सं०-08531123E0040239 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः प्र० प्रार्थी श्री अमरदीप रणावत पुत्र रणवीर सिंह नि०-अजयपुर कलां देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के अनुसार उसके द्वारा प्रार्थी उपरोक्त द्वारा वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रु०-12,844/- ई-चालान सं०-08531123E0040239 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई-रचना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-22 नवम्बर,2023



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सं-253 /2023

सरकार

931
बनाम 13/10/23

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
श्री अमरदीप सिंह रिटेल भण्डारण, ग्राम भिककमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-903/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स अमरदीप रिटेल भण्डारण, ग्राम-भिककमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मीके पर 52.9145 टन उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रु0-7,408/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अमरदीप सिंह, वास्ते मैसर्स अमरदीप सिंह रिटेल भण्डारण ग्राम-भिककमपुर जीतपुर तहसील लकसर प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु0-7,408 /- ई-चालान सं0-08531023E0022989 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स अमरदीप सिंह रिटेल भण्डारण ग्राम-भिककमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु0-7,408/- ई-चालान सं0-08531023E0022989 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 13 अक्टूबर, 2023

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

कुं शर्मा
13/10/2023



वाद सं०- 160 /2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021मै० बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिककमपुर जीतपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-588/पी०ए०/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थल का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 398.7 टन रेत(उपखनिज) पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 175.79 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 17.579 टन कुल 193.369 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 205.331 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार ₹०-28746/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। श्री मैसर्स बालाजी भिककमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि ₹०-28746/-ई-चालान सं०-08530423E0048186 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई०डी० चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मै० बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी भिककमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 द्वारा उक्त आरोपित अर्धदण्ड की धनराशि ₹०-28746/-ई-चालान सं०-08530423E0048186 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संघित की जाय।

दिनांक- 01/05/2023




(दिनेश शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

अहलम

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

संख्या: 240/2022-23

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।



सरकार

कनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल श्री बालाजी
ट्रेडर्स, भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार ।

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-570/पी0ए0/ज0जि0ल0/2023 दिनांक 18.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, रिथत श्री बालाजी ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 123.75 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 38,115.00(अड़तीस हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा आरोपित जुर्माना जमा कराने को तैयार है।

अतः विपक्षी प्रबंधक/स्वामी श्री बालाजी ट्रेडर्स, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 38,115.00(अड़तीस हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार अधिरोपित धनराशि जमा होने के पश्चात ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर पोर्टल खोलने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होवे।

दिनांक 20.03.2023

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

कै. रा. म.
Pradeep

संख्या: 296 /2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

सरकार

बनाम

घास-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी
ग्राम शिवपुरी मुस्त
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉय आख्या पत्रांक संख्या 1018/पी0ए0-अवैध खनन/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम शिवपुरी मु0 तहसील लकसर जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो0 प्रतीक शर्मा रिटेल भण्डारण का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 11.579टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 11.579टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो0 प्रतीक शर्मा स्थित ग्राम शिवपुरी मु0 तहसील लकसर जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रजिस्ट्रार पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करे। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक मूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उपत स्टोन केसर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली चाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संभित की जाय।

दिनांक 07/जनवरी/2024

U
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the name 'धीराज सिंह गर्बाल' and the date '07/01/24'.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

संख्या: 296 /2023

सरकार

बनाम

धारा-विधि/नियम 14-6(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अपेक्ष खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी
ग्राम शिवपुरी मुस्ता
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉब आख्या पत्रांक संख्या 1018/पी0ए0-अपेक्ष खनन/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अद्यतन कराया गया है, कि दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम शिवपुरी मुस्ता तहसील लकसर जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो० प्रतीक शर्मा रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैगाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष भौके पर 11.579टन उपखनिज अधिक पाया गया जिसे कारण नियमावली के प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अद्यतन कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 11.579टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की घनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो० प्रतीक शर्मा स्थित ग्राम शिवपुरी मुस्ता तहसील लकसर जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण घनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रचना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभासी अधिकारी, खनन तथा उषत स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखानगर में संचित की जाय।

दिनांक 7/जनवरी/2024

॥
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



Handwritten notes and signatures in Hindi, including the name 'धीराज सिंह गर्वाल' and the date '7/1/24'. There are also some illegible scribbles and lines.



संख्या- 31 / अहलमद-2023 दिनांक 30 / 12 / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

याद संख्या: 296 / 2023

सरकार

बनाम

धारा-विधि/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी
ग्राम शिवपुरी मुस्ता
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वा०,
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी,
ग्राम शिवपुरी मुस्ता,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 06.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त रिटेल भण्डारण परिसर में मौके पर 81 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-खनना पोर्टल पर 63.11 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वार्षिक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-खनना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 11.579 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खननपरिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-1,621/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर यहाँ न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =₹0-1,621/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त बाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

- प्रतिनिधि-
- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भूखनिज, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
 - 3-प्रभारी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलेक्टर हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

श्री. श्री. रानी वैशाली
समन्वित पञ्चवटी न्यायालय
हरिद्वार

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

936

वाद सं- 255 /2023

16/10/23

कार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अद्वैत खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021मै0 हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-624/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 05.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 26.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 143.694 टन रेत उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार रु0-20,118/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री प्रतीक शर्मा मै0 हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी तहसील लकसर जिला हरिद्वार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु0-20,118/- ई-चालान सं0-08531023E0024673 दिनांक 11.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।


अतः मै0 हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी तहसील लकसर जिला हरिद्वार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु0-20,118/- ई-चालान सं0-08531023E0024673 दिनांक 11.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 13 अक्टूबर, 2023

11
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



पुस्तक
Pradesh



संख्या- 324 /अहलमद-2023 दिनांक 30 /12/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 295 /2023

सरकार

बनाम

घारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
मैसर्स मेघराज कम्पनी,
ग्राम रायसी परगना ज्वालापुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स मेघराज कम्पनी,
ग्राम रायसी परगना ज्वालापुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 10.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त रिटेल भण्डारण परिसर में मौके पर 205.2 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 693.53 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वार्षिक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 418.977 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खननपरिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार ₹0-58,657/-अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =₹0-58,657/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।

॥
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

- प्रतिलिपि-
- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रतः कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
 - 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्टर हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

श्री श्री स्वामी देवी
समाधि जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

॥
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

वाद संख्या: १७०/2023

सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

बनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स मेघराज कान्ठेक्टर ग्राम मन्सूरपुर कपूरो
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रमुखानधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त जॉब आख्या पत्रांक संख्या 843/भू0ख0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 05.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 03.03.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम मन्सूरपुर कपूरो तहसील लकसर जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स मेघराज कान्ठेक्टर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 97.471टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स मेघराज कान्ठेक्टर के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 97.471टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 13,645/-ई चालान संख्या 08531223E0025892दिनांक 14.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स मेघराज कान्ठेक्टर स्थित ग्राम मन्सूरपुर कपूरो तहसील लकसर जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 13,645/-ई चालान संख्या 08531223E0025892 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पत्रकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अनिलेखाग्र में संभित की जाय।

दिनांक 18/दिसम्बर/2023



U,
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



संख्या - 323/डीए/2023

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।
229 / 2022-23

धारा-विधिव/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवधि खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल भण्डारण श्री
मेघराज, ग्राम गन्सूरपुर कपूरों, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-495/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 03.03.2023 द्वारा अद्यतन कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, लक्सर एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम गन्सूरपुर कपूरों स्थित रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 178.62 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। रिटेल खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 55,015 (पचपन हजार पन्द्रह मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति तहत प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2023 प्रस्तुत कर अधिरोपित जुर्माना जमा कराकर पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। उप जिलाधिकारी, लक्सर ने विपक्षी उपरोक्त पर निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 178.62घ0मी0 उपखनिज अधिक पाये जाने के दृष्टिगत रू0 55,015.00 (पचपन हजार पन्द्रह मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि उक्त आरोपित धनराशि जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।
दिनांक 14.03.2023

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

504
15/6/22

संख्या:- 169 / एस0टी0 दिनांक 13.06.2022

न्यायालय / कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार
वाद संख्या:- 182 / 2022

धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
बाबूराम पुत्र झबरेसिंह
तहसील लक्सर जिला हरिद्वार ।

सरकार

बनाम

कार्यालय ज्ञाप

उप जिलाधिकारी, लक्सर के पत्र संख्या 2888/पी0ए0/उ0जि0अ0/खनन/2022 दिनांक 25.05.2022 द्वारा ग्राम कलसिया में श्री बाबूराम पुत्र झबरेसिंह के पक्ष में स्वीकृत उपखनिज भण्डारण का निरीक्षण के दौरान ई-रवन्ना पोर्टल पर 1869.35 टन अर्थात 850 घ0मी0 उपखनिज के सापेक्ष मौजे पर 330 घनमी0 उप खनिज पाये जाने के दृष्टिगत नियम 14(5) ग के अनुसार 435 घ0मी0 पर $154 \times 2 \times 435 = 1,33,980-00$ आरोपित की गई।

विपक्षी द्वारा उक्त धनराशि रुपये 1,33,980-00 ई चालान दिनांक 13.06.2022 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, रोशनाबाद, हरिद्वार में जमा की गई।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप जिलाधिकारी, लक्सर ।
- 2- सहायक भूवैज्ञानिक अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार।
- 3- श्री बाबूराम पुत्र झबरेसिंह निवासी पंडित पुरी मजरा तहसील लक्सर, हरिद्वार।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार

sen
le

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

वाद संख्या: 12 /2022

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

श्री बाबूराम उपखनिज भण्डारण अनुज्ञाधारक ग्राम कलसिया
तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

कारण बताओ नोटिस

श्री बाबूराम उपखनिज भण्डारण अनुज्ञाधारक
ग्राम कलसिया तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-2853/पी0ए0 दिनांक 08.05.2022 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि दिनांक 04.05.2022 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। ग्राम कलसिया में आपके पक्ष में अनुमत उपखनिज भण्डारण का संयुक्त निरीक्षण आपके प्रतिनिधि श्री प्रशान्त की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 कैमरे चालू पाये गये, परन्तु आपके प्रतिनिधि द्वारा सी0सी0टी0वी0 की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर $12 \times 9 \times 2.5 = 270$, $20 \times 10 \times 1 = 200$ अर्थात् कुल 470 घनमीटर उपखनिज पाया गया, जबकि ई-खनना पोर्टल पर 325.1 टन अर्थात् 147.72 घनमीटर उपखनिज दर्शित होना पाया गया। इस प्रकार कुल 322.28 घन मीटर उपखनिज अवैध रूप से भण्डारित होना पाया गया, जिस कारण उक्त भण्डारण को मौके पर ही सीज कर दिया गया। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानुसार के अन्तर्गत अवैध भण्डारण 322.28 घ0मी0 के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की आख्या दी गई है।

यदि न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-1/2021/158ख-04टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आपके विरुद्ध मौके पर अधिक पाये गये उपखनिज सामग्री (322.28 घन मीटर) पर रायल्टी $322.28 \times 154 \times 2 = 99263$ /- अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्यग्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्य सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिजों इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि निवमानुसार ई-खनना पोर्ट बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3-प्रभारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Do not
submit
11/5/22

जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

भण्डारण

वाद संख्या: 278 / 2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

घास-दिविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्र०खानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉचि आख्या पत्रांक संख्या 842/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 05.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 992.03टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 992.03टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 1,38,884/-ई चालान संख्या 08531223E0030618 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थित रघुनाथपुर उर्फ बालावाली तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,38,884/-ई चालान संख्या 08531223E0030618 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक 18/दिसम्बर/2023



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

वा. संख्या 54/2024

सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

बनाम

घास-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत,
ग्राम भिवकमपुर जीतपुर,
तहसील लकरसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रोखानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉब आख्या पत्रांक संख्या 1025/भू0ख0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.01.2024 को खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिवकमपुर जीतपुर तहसील लकरसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 8.777टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अधिक पाये गये उपखनिज 8.777टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 12,29/-ई चालान संख्या 08530124E0046651दिनांक 27.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम भिवकमपुर जीतपुर तहसील लकरसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 12,29/-ई चालान संख्या 08530124E0046651दिनांक 27.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-स्वन्ता पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक 7/जनवरी/2024

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

सं - 337/रीर/2023

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

दि. संख्या: 238/2022-23

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल अमरदीप सिंह
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

सरकार



बनाम

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-504/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर स्थित रिटेल भण्डारण अमरदीप सिंह का औद्योगिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 205.63 च0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रु0 63,334.00 (तिरसठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा कराने को तैयार है।

अतः विपक्षी प्रबंधक/स्वामी रिटेल भण्डारण अमरदीप सिंह, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रु0 63,334.00 (तिरसठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र)निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार अधिरोपित धनराशि जमा होने के पश्चात ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंवे।
दिनांक 17.03.2023

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

संलग्न - ③

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1051 / पी०ए०-उ०जि०ल० / 2023

दिनांक 26 दिसम्बर '2023

विषय:- श्री नकली राम पुत्र स्व० बलजीत निवासी-ग्राम महतौली परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच आख्या का प्रेषण।

भूमिहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 9664/मु०वै०अ०/2023 दिनांक 09.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके अन्तर्गत श्री नकली राम पुत्र स्व० बलजीत निवासी-ग्राम महतौली परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दुओं के सम्बन्ध में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या 591/आर०सी० दिनांक 25.10.2023 के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को सूचना के आधार पर राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तहसील लक्सर के ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा में स्थित भूमि खसरा सं० 04 का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मध्य रात्रि को उक्त भूमि से 25X12X3=900 घनमीटर गड़दा कर अवैध खनन किया गया है।

वर्तमान समय में राजस्व अभिलेखों में ग्राम मजफ्फरपुर गुजरा में स्थित खसरा सं० 4 रकबा 0.297 है० पर घसीटा पुत्र जगराम निवासी-ग्राम महतौली फसली वर्ष 1413 से आसामी का पट्टा आवंटन किया गया है। घसीटा पुत्र जगराम निवासी-ग्राम महतौली मृतक होना तस्दीक हुआ है। घसीटा पुत्र जगराम नि०-ग्राम केवल 5 पुत्रिया है जिसमें 03 पुत्रियों की शादी हो गयी है 02 पुत्रियों की शादी वर्तमान में नहीं हुई है। सभी पुत्रिया द्वारा अवैध खनन होने से पूर्व प्रार्थना के माध्यम से आशंका जाहिर की गयी थी। उक्त भूमि को लेकर श्री नकलीराम एवं मृतक श्री घसीटा पुत्र जगराम निवासी-ग्राम महतौली के मध्य उक्त भूमि को लेकर विवाद है। उक्त भूमि से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में उक्त भूमि पर काविज कब्जेदार को अवैध खनन करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। अतः आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भूमिहोदय

 (गोपाल सिंह) 26/12/23
 उप जिलाधिकार
 लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1066 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज0 तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 20.12.2023, जो दिनांक 29.12.2023 को कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज0, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर के खसरा नम्बर 40, व खसरा नम्बर 39 के नाम दर्ज हैं, में अवैध खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	कब्जेदार/खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	अवैध खनन की पैमाईश	अन्य
01	रोहित कुमार पुत्र तेजपाल, शोभा पत्नी स्व० तेजपाल निवासी महतौली।	40	41×66×1 (मिट्टी)=2706 घनमीटर 41×66×1 (आर०बी०एम०)=2706 घनमीटर	-
02	दल्ली व प्रेम पुत्रगण हरनन्द निवासी महतौली।	39	42×83×1 (मिट्टी)=3486 घनमीटर 42×83×1 (आर०बी०एम०)=3486 घनमीटर	-

अतः तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 20.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,


(गोपाल सिंह चौहान) 30.12.2023
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1065 / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक श्री नकलीराम व शेर सिंह पुत्रगण बलजीत सिंह निवासी ग्राम महतौली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 पर तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 29.12.2023 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा, तहसील लक्सर के खसरा नम्बर 04/0.2970 है०, जो राजस्व अभिलेखों में श्री घसीटा पुत्र जगराम(मृतक) के वारिस बबीता, हेमा, रानी, रेखा व छोटों द्वारा श्री जितेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र बलवीर निवासी ग्राम महतौली के साथ मिलकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ है। जिसकी पैमाईश निम्न लिखित है:-

$29 \times 84 \times 1$ मिट्टी = 2436 घनमीटर

$29 \times 84 \times 1.5$ आर०बी०एम० = 3654 घनमीटर

अतः श्री नकलीराम व शेर सिंह पुत्रगण बलजीत सिंह निवासी ग्राम महतौली, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 29.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,


(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1064/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम नेहन्दपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 20.12.2023, जो दिनांक 29.12.2023 को कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम नेहन्दपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर के खसरा नम्बर 263म, जिसमें श्री शकील पुत्र महमूद निवासी नेहन्दपुर सुठारी द्वारा अवैध खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार हैं:-

$$37 \times 41 \times 1.5 \text{ मिट्टी} = 2275.5 \text{ घनमीटर}$$

अतः तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 20.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर,।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1069 /पी0ए0/उ0जि0ल0/2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम मुजाफ्फरपुर गुजरा ज0 तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 09.12.2023, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुजाफ्फरपुर गुजरा ज0, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम मुजाफ्फरपुर गुजरा ज0, के कुछ खेतों/खसरा नम्बर में अवैध खनन होना पाया गया है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	कब्जेदार/खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	अवैध खनन की पैमाईश	अन्य
01	इकपाल व ओमप्रकाश पुत्रगण फल्लू निवासी महतौली।	52	35×113×1 (मिट्टी)=3955 घनमी० 35×113×1.5(आर०वी०एम०)=5932घनमी०	-
02	संसारवती पत्नी जगदीश निवासी ग्राम महतौली।	52	30×88×1 (मिट्टी)=2640 घनमी० 30×88×1(आर०वी०एम०)=2640 घनमी०	-
03	सलेकचन्द पुत्र नानू निवासी ग्राम महतौली।	36	29×27×1 (मिट्टी)=783 घनमी० 29×27×1.5(आर०वी०एम०)=1174.5घनमी०	-
04	रमेश, यशपाल, सतपाल, सुखवीर पुत्रगण वीरवल निवासीग्राम महतौली।	50	30×119×1 (मिट्टी)=3570 घनमी० 30×119×1(आर०वी०एम०)=3570 घनमी०	-
05	महीपाल पुत्र चन्दर व सूरजपाल पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासीग्राम महतौली।	51	30×30×1 (मिट्टी)=900 घनमी० 30×30×1(आर०वी०एम०)=900 घनमी०	-
06	रामकुमार उर्फ राज्जा पुत्र नकली निवासी ग्राम महतौली।	12	29×44×1 (मिट्टी)= 1276घनमी० 29×44×1.5(आर०वी०एम०)=1914घनमी०	-
07	कलीराम पुत्र कन्दू निवासी ग्राम महतौली।	54	62×75×1 (मिट्टी)= 4650 घनमी० 62×75×1(आर०वी०एम०)=4650 घनमी०	-
08	हरि सिंह पुत्र घेतू, रविन्द्र कुमार, अभिषेक कुमार पुत्रगण रघुवीर सिंह निवासी ग्राम महतौली।	55	94×68×1 (मिट्टी)= 6392 घनमी० 94×68×1(आर०वी०एम०)=6392 घनमी०	-
09	तेजपाल सिंह पुत्र मेन्दा निवासी ग्राम महतौली।	58मि०	30×60×1 (मिट्टी)= 1800 घनमी० 30×60×1.5(आर०वी०एम०)=2700 घनमी०	-

10.	सोमपाल पुत्र मुख्त्यारा निवासी ग्राम महतौली।	56मि०	30×15×1 (मिट्टी)= 450 घनमी० 30×15×1(आर०बी०एम०)=450 घनमी०	-
11.	लाल सिंह पुत्र सूरता निवासी ग्राम महतौली।	48	48×28×1 (मिट्टी)= 1344 घनमी० 48×28×1.5(आर०बी०एम०)=2016 घनमी०	-

अतः तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 09.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

01.01.2021
(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1139 /पी0ए0-उ0जि0ल0/खनन-2024.

दिनांक 07 फरवरी, 2024


विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री आदित्य कुमार पुत्र श्री फतेह चन्द, राजकिशोर एवं अन्य निवासी-ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार द्वारा दिनांक 16.01.2024 को तहसील लक्सर में आयोजित तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2024 एवं दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र जो अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में है पर तहसीलदार लक्सर द्वारा जांच आख्या दिनांकित 16.01.2024 उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त जांच आख्यानुसार मौजा ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के खसरा संख्या 161म रकबई 1.403है0 जोकि खसरा नं0 161म/0.701है0 लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री सन्ता, राजकुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जितेन्द्र कुमार आदिगण के रूप में सहखातेदार हैं। खसरा सं0 161म/0.351है0 संजय सैनी पुत्र श्री शेर सिंह, लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 शेर सिंह निवासी-ग्राम, 161म/0.351है0 राजेन्द्र पुत्र श्री हरी सिंह राजकिशोर निवासी-ग्राम की पैमाईश कर निशानदेही की गयी। उक्त खसरा नंबर के कुछ हिस्से में रास्ता तथा कुछ हिस्से में बाणगंगा नदी बह रही है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि खसरा नं0 161 अनुज कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी-झींवरहेड़ी के द्वारा 95X18X2=3420 घनमीटर आर.बी.एम. निकालकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ।

अतः उक्त अवैध खननकर्ता अनुज कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी-झींवरहेड़ी तहसील लक्सर के विरुद्ध के उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय,


(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या || 52/पी0ए0-उ0जि0ल0/खनन-2024,


दिनांक-21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा आख्या दिनांकित 23.01.2024 उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया कि दिनांक 23.01.2024 को मय राजस्व टीम के मौजा मुसाहिबपुर माजरी, परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम मौजा मुसाहिबपुर माजरी में ग्राम समाज/सरकारी भूमि के खसरा संख्या 97 से 54X75X1=4050 घनमीटर, खसरा संख्या 74 से 25X35X1.5=1312 घनमीटर एवं खसरा सं0 330 से 20X24X1.5=720 घनमीटर अर्थात कुल 6082 घनमीटर आर0वी0एम0 का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक द्वारा कोतवाली लक्सर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अतः उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1161 / पी०ए०-उ०जि०ल०/खनन-2024,

दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री भरत सिंह पुत्र श्री पुन्न आदि निवासीगण पुरवाला बिरसंगपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 26.12.2024 के सम्बन्ध में तहसीलदार लक्सर द्वारा जांच कर आख्या उपलब्ध करायी गयी।

तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्यानुसार ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के खसरा संख्या 42/1.972 है 0 पर पवन कुमार पुत्र श्री छतर सिंह निवासी ग्राम का नाम सहायतेदार के रूप में स०भू० दर्ज कागजात है। उक्त खसरा संख्या 42 से 55X30X2.5=4125 घनमीटर आर.वी.एम. निकालकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ।

अतः उक्त अवैध खननकर्ता श्री पवन कुमार पुत्र श्री छतर सिंह निवासी-ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर के विरुद्ध के उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,
लक्सर

प्रेषक,

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1160 / पी०ए०-उ०जि०ल० / खनन-2024,

दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहायक अभियन्ता-तृतीय सिंचाई खण्ड मायापुर हरिद्वार के पत्र संख्या 394/स०अ०तृ०/सि०ख०ह० दिनांक 26.12.2023 जो ग्राम रामपुर रायघटी में अवैध खनन रूकवाये जाने के सम्बन्ध में है पर तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्यानुसार ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार में राजस्व टीम द्वारा गंगा तटबन्ध के समीप अवैध खनन की जांच की गयी जिसमें मौके पर खसरा संख्या 3म रकबा 3.155है० में अवतार सिंह, सिंगार सिंह, जीत सिंह पुत्रगण साधू सिंह निवासी-ग्राम व गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी-ग्राम सं०भू० के रूप में बतौर सहखातेदार दर्ज है में सिंगारा सिंह पुत्र साधू सिंह द्वारा 40X75X1=3000 घनमीटर आर.बी.एम. निकालकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ।

अतः उक्त अवैध खननकर्ता सिंगारा सिंह पुत्र साधू सिंह निवासी-ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के विरुद्ध के उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

भवदीय,


(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेल में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1159 /पी0ए0-उ0जि0ल0/खनन-2024,

दिनांक-21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही अवैध खनन के सम्बन्ध में आख्याएं दिनांकित 14.02.2024 उपलब्ध करायी गयी जिनके अनुसार अवैध खनन विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अवैध खननकर्ता का नाम मय वल्लिदयत व पता	स्थित भूमि	खसरा संख्या	अवैध खनन घनमीटर में	खनन सामग्री का प्रकार
01	श्रीमती राज्जो पत्नी मेहरचन्द निवासी- अलावलपुर लक्सर जनपद हरिद्वार।	मौजा मुसाहिबपुर माजरी	77	18X85X2=3060	आर०बी०एम०
02	मेहरचन्द पुत्र श्री एवं समय सिंह पुत्र श्री विशम्बर निवासी-अलावलपुर तहसील लक्सर जनपद	मौजा मुसाहिबपुर माजरी	76	15X70X1.5=1575	आर०बी०एम०
03	सत्तार अली पुत्र श्री मजीद, जुल्फकार अली पुत्र श्री सत्तार अली आदि निवासीगण नेहन्दपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	मौजा मुसाहिबपुर माजरी	119	30X40X1.5=1800	आर०बी०एम०

अतः उक्त से सम्बन्धित तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने संस्तुति सहित मूल रूप में सादर प्रेषित है।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय,


(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हरिद्वार P.S. (थाना): लखसर Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 04/01/2024 19:37 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	भा द सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन): शनिवार Date from (दिनांक से): 30/12/2023 Date To (दिनांक तक): 30/12/2023
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/01/2024 Time (समय): 19:37 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 032 Date and Time (दिनांक और समय): 04/01/2024 19:37 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 18 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ग्राम प्रतापपुर पर 0 जवालापुर तह 0 लखसर छात्रा न 0-1 व 9,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अन्जू कुमार राजस्व उप निरीक्षक
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) 115 ID Number (पहचान संख्या)

I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म-1)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	महाराजपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	महाराजपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी- महोदय आज दिनांक 30/12/23 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान याम प्रतापपुर पर0 जवालापुर तह लक्सर जि0 हरिद्वार के छसरा न0-1 व 9 जो कि राजस्व अभिलेखों में गंगा जी (श्रेणी 6-1/जलमग्न भूमि) के रूप में दर्ज है। से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा राशी में अत्यधिक कोहर होने के कारण 185x48x3 घन मी कुल 26640 घन मी0 आर0बी0एम0 अवैध रूप से खोदकर परिवहन कर लिया है। अतः महोदय अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित हैं। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित 30-12-23 रा0उप जि0 महाराजपुर लक्सर प्रार्थी अन्जुकुमार तह लक्सर जि0 हरिद्वार नोट- में हे0का0 398 भूपेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर हिन्दी वादी थाना हाजा के सीसीटीएनएस पर शब्द व शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): subhash chandra Rank (पद): उपनिरीक्षक अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई जाना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer In charge, Police Station (पाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb Impression
of the complainant / Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (ऊँचाई (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1						
चेकक: हाँ						
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशेषताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)			Others (अन्य)		
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा/सफ़ेद पट्टे)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): हरिद्वार P.S. (थाना): रुक्मर Year (वर्ष): 2024,
FIR No. (ए.सू.रि. सं.): 0032 Date and Time of FIR (ए.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/01/2024 17:13 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अपिनियम)	Sections (धाराएं)
1	छान एवं छानिज (विकास का विनियमन) अपिनियम 1957	21
2	छान एवं छानिज (विकास का विनियमन) अपिनियम 1957	4
3	भा द सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन):

Date from (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/01/2024

Time (समय): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोज़नामचा संदर्भ):

Entry No. (एविडेंस सं.): 030

Date and Time (दिनांक और समय): 09/01/2024 17:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 14 कि. मी.

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नेहन्दपुर बाण गंगा क्षेत्र,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): गोविन्द सिंह तेगवान

(b) Father's Name (पिताका नाम): धर्मपाल सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (एआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, एआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नगला कोयल, मंगलोर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	राजस्व 30नि0क्षेत्र सुल्तानपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8859045380

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
------------------	------------	---------------	------------------------------------	-------------------------------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य ₹ में)
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य ₹ में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी सेवा में थानाध्यक्ष महोदय थाना लक्सर, महोदय प्रार्थी गोविन्द सिंह तेगयान तहसील लक्सर के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सुल्तानपुर आदमपुर में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के आदेश दिनांक 06.01.2024 के अनुपालन में प्रार्थी क्षेत्र सुल्तानपुर आदमपुर के मौजा नेहन्दपुर में बाण गंगा क्षेत्र खसरा नम्बर 263 में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय किये गये अवैध खनन के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही कराना चाहता हूँ। अतः महोदय निवेदन है कि संलग्न संयुक्त जांच आख्या दिनांक 06/01/2024 में वर्णित सरकारी भूमि (बाण गंगाजी/ सम्पत्ति ग्राम समाज) पर उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के आदेशानुसार अज्ञात अवैध खनन कर्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। ह0 अयेजी अपठित प्रार्थी गोविन्द सिंह तेगयान पुत्र धर्मपाल सिंह राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सुल्तानपुर तहसील लक्सर, जि0 हरिद्वार निवास स्थान नगला कोयल, पोस्ट - गुरुकुल नारसन 247670 जिला हरिद्वार सो0 8859045380, नोट में हैड कानि0 264 मनोज मलिक प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर हिन्दी वादी शब्द व शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): LOKPAL PARMAR Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक
No. (सं.): na to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तान्तरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (पाना
धमारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (रत): I (Inspector)

No. (नं.): NA

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/ अंगूठे का निधान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में पेशगी की दिनांक और समय):

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): हरिद्वार P.S. (थाना): लक्सर Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प.सू.रि. सं.): 0103 Date and Time of FIR (प.सू.रि. की दिनांक और समय): 01/02/2024 20:07 घंटे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धाराएं)
- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 21 |
| 2 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 4 |
| 3 | भा टं सं 1860 | 379 |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/02/2024 Time (समय): 19:55 बजे
- (c) General Diary Reference (रोज़नामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 048 Date and Time (दिनांक और समय): 01/02/2024 19:55 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 13 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): मुसाहिबपुर माजरी,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (ज़िला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
- (a) Name (नाम): दाउद अली
(b) Father's Name (पिताका नाम): मुक़्तुल अहमद
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (एआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, एआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))
S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)
(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.L.F.-I (एकीकृत जॉब कार्ड-1)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	राजस्व उप निरीक्षक, भिक्कमपुर क्षेत्र, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत
2	स्थायी पता	बेलगा, बेलगाती रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत

(ii) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9690728258

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु सरोक्ष रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में श्रीमान धाना प्रभासी महोदय धाना / कोठे लक्सर महोदय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी दाऊद अली तहसील लक्सर के रा030नि0 क्षेत्र भिक्कमपुर जीतपुर में रा030नि0 (लेखपाल) के पद पर तैनात हैं। मेरे रा030नि0 क्षेत्र के मौजा मुसाहिबपुर माजरी में रात्रि के समय धंधा कोहरे का फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि/ग्राम समाज की भूमि के खसरा नम्बर 97, 94 व 330 में अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ जिसके सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा अवैध खनन की जांच आख्या उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश मुझे रा030नि0 को दिये गये। जिसकी छायाप्रति एवं फोटोग्राफ्स साथ में संलग्न हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि मौजा मुसाहिबपुर माजरी के खसरा नं0 97, 74 व 330 में हुए 6082 घन मी0 अवैध खनन करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कृपा करें। ह0 अंग्रेजी अपरिल 01/02/2024 प्रार्थी नाम दाऊद अली पुत्र श्री तुर्कत अहमद नि0 ग्राम बेलगा, त0 रुड़की को0/धाना सिविल लाईन रुड़की, पदनाम रा030नि0 क्षेत्र भिक्कमपुर जीतपुर त0 लक्सर मो0 9690728258, नोट नै हैड का0 264 मनोज मलिक प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर हिन्दी वादी शब्द व शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): LOXPAL PARMAR Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

No. (सं.): na to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया गया)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):

on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तान्तरित).

F.I.R. send over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / Informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पत्र कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

I.F.F-1 (एकीकृत जॉब कार्ड-1)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (पता प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb impression of the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (पथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

पेचक: हाँ

Deformities / Peculiarities (विकृतियों / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा/सफेद धब्बे)	Mole (महसा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हरिद्वार P.S. (थाना): लकरार Year (वर्ष): 2024
FIR No. (ए.सू.रि. सं.) 0181 Date and Time of FIR (ए.सू.रि. की दिनांक और समय): 24/02/2024
21:47 घंटे

2. S.No. (सं.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))

1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	भा दं सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/02/2024 Time (समय): 21:13 बजे

(c) General Diary Reference (संज्ञानामिका संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 035 Date and Time (दिनांक और समय): 24/02/2024 21:13 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 18 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ग्राम प्रतापपुर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अन्जु कुमार राजस्व उप निरीक्षक
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (एआईडी सं.):
(f) Passport No. (पत्राघोटे सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

L.I.F.-I (एकीकृत जोड़ फार्म-I)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, आतपोटे, शूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

(a) Occupation (व्यवसाय):

(b) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

1 वर्तमान पता राजस्व क्षेत्र दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

2 स्थायी पता राजस्व क्षेत्र दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(c) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8755032065

List of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित)

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent Address
1	समीर		पिता का नाम : तमजुल	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
2	नाहिद		पिता का नाम : इरशाद	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
3	सुलेमान		पिता का नाम : इरफान	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
4	नफीरा		पिता का नाम : इन्यास	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
5	रिहयान		पिता का नाम : अब्दुल सलाम	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
6	चन्द्रवीर		पिता का नाम : श्रवण	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
7	गुड्ड		पिता का नाम : श्रवण	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
8	दिनेश		पिता का नाम : सत्ता	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
9	पांथा		पिता का नाम : सोम	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
10	पाल्ती		पिता का नाम : सोम	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
11	विद्ध		पिता का नाम : सोम	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देी से देर होने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (₹ में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property (in Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	U.D.B Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी:- महोदय अवगत कराना है कि ग्राम प्रतापपुर पर जकलापुर तह- लक्सर जि० हरिद्वार के खसरा न० ०१ न ०१ जो राजस्व अभिलेखों में गंगा जी (श्रेणी (6-1) व ग्राम राज: की भूमि के रूप में दर्ज है जो ग्राम सभा सम्पत्ति जिसमें पिछले एक सप्ताह से रात्री में अवैध खनन होना पाया गया है उक्त अवैध खनन के विरुद्ध राजस्व टीम द्वारा कई बार रात्री में जाये-मारे की गई परन्तु रात्री के अन्धेरे का लाभ उठाकर अवैध खनन कर्ता मौकों से आग जाते हैं। मुखविर खास के द्वारा स्थानीय जांच में तस्दीक हुआ कि: सभीग s/o तमजुल, नाहिद s/o इरशाद, सुलेमान s/o इमरान, गफिस s/o इन्यास, रिहयान s/o अब्दुल सलाम, निवासीगण ग्राम नेहन्दपुर तथा चन्द्रवीर पुत्र श्रवण: गुड्डू, s/o श्रवण, दिनेश s/o सल्ला, पौधा s/o सोम, पाल्नी s/o सोम, बिट्टू s/o सोम निवासीगण प्रतापपुर के द्वारा उपरोक्त के द्वारा उपरोक्त ग्राम सभा की भूमि से अवैध खनन किया गया है चूंकि मेरे द्वारा रात्रि में भी जायेमारे की गई। जायेमारी के दौरान खनन कर्ता भाग गये। उक्त प्रकरण में पुलिस विभाग से जांच कराने के उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही बिना जाना उचित प्रतीत होता है ग्राम सभा (श्रेणी 6-1) गंगा जी के खसरा न० में पाये गये अवैध खनन गडेटा का निरीक्षण एवं पैमाइश की गई। जिसका विवरण लिम्-1 है।

क्र०स० ग्राम का नाम भूमि जिसमें अवैध खनन खसरा न० अवैध खनन का प्रकार अवैध खनन की मात्रा (घनमीटर में)

01 प्रतापपुर ग्राम सभा 09 आर०बी०एम० 92x35x3=96.60 घन मी०

02 प्रतापपुर गंगा जी ०१ आर०बी०एम० 105x34x3=10,710 घन मी०

03 प्रतापपुर गंगा जी ०१ आर०बी०एम० 145x54x3=17010 घन मी०

कुल मांग 37,380 घन मी० ग्राम प्रतापपुर कोतवाली लक्सर के अन्तर्गत आता है: उपरोक्तानुसार ग्राम सभा सम्पत्ति (भूमि पर किये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु थानाध्यक्ष लक्सर को निर्देशित किये जाने हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित। हस्ताक्षर अंग्रेजी पठित 23/032024 रा०उ०नि० दरगाहपुर लक्सर महोदय रा०उ०नि० जांच आख्या आ०का० हेतु प्रेषित हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित 23/2/24 R.I(S) SHO(L) /R.S.I एवं R.I की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल आ०का० करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित 24.02.2024 अन्जु कुमार रा०उ० नि० तह- लक्सर क्षेत्र -दरगाहपुर 8755032065 नोट -में कानि० प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर शब्द व शब्द टंकित की गयी। कानि० 184 टीवन्म सिंह चौहान कोतवाली लक्सर जगपद हरिद्वार। दिनांक 24.01.2024

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका क.सं. 2 में उल्लेख प्राप्त के रहता है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kanul Kant Kauri Rank (पद): उपनिरीक्षक/अस. निरीक्षक No. (सं.): to take up the investigation (की जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया गया)

(4) Transferred to P.S. (पता): 127 District (जिला):

on point of jurisdiction (जो क्षेत्रधिकार के कारण हस्तान्तरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रामाणिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई गाना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

राजेश्वरी निरीक्षक
Signature of Officer in charge, Police Station (पुलिस स्टेशन के अधिकारी के हस्ताक्षर)

उजयवत-हार्दिक राठी
Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): 1 (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (पहला सूचना रिपोर्ट के भाग 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/arrested: (If known / seen)

(सदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Built (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1984				
2	पुरुष	1982				चेहरा: हाँ
3	पुरुष	1989				चेहरा: हाँ
4	पुरुष	1986				चेहरा: हाँ
5	पुरुष	1983				चेहरा: हाँ
6	पुरुष	1985				चेहरा: हाँ
7	पुरुष	1985				चेहरा: हाँ
8	पुरुष	1987				चेहरा: हाँ
9	पुरुष	1986				चेहरा: हाँ
						चेहरा: हाँ



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

ग्राम संभारक : 056861

ग्राम का नाम / परतना : प्रतापपुर (न्यायापुर)

तहसील : मन्सर

जनपद : हरिद्वार

पन्तली नम्बर : 14

6-1228 का संवि.

1	2	3	4	5	6	7-12
बालक खतौनी का नम्बर	खतौदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	श्रीमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	घरों के इत्येक घाटे की प्रत्येक संख्या	प्रत्येक घाटे का क्षेत्रफल (हि.)	खतौदार द्वारा देन भातनुवारी का लगान	परिवर्तन सम्बन्धी कानून या उनका सार्वजनिक उपकी गणना तथा दिनांक तद्विषय और अज्ञात देने वाले अधिकारी का पद
00734	सगरीश		18	0.2040	0.00	
			19	0.2040		
			19	1.7020		
			7	0.2350		
			9	2.2020		
			10	1.0350		
			11	0.2040		
			12	0.0710		
			15	0.1800		
			16	0.0410		
			17	0.1230		
			17	0.0100		
			28	0.2570		
			129	0.0100		
			147	0.4710		
			130	0.0410		
			148	1.9870		
			149	0.1630		
			18	9.2890		

कुल घाटे, क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल की दशमलव दो अंश की कुल भू-मालिक, भूमि दशमलव भूख भूख

Data Digitally Signed by : MANOJ KUMAR PANDEY

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है।

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR


तहसील : मन्सर

दिनांक एवं समय : 24-01-2024 0:




ग्राम. प्रतापपुर पर. ज्वालापुर हरिद्वार

शसत्रा नं० . ०१




श. प्रतापपुर - परं जवालापुर हरिद्वार


खसरा नं०. ०१



मि. प्रतापपुर - पर. लवालापुर - हरिद्वार



अक्षरा नं० - ०९



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

Date (दिनांक): 24/02/2024

State (राज्य): उत्तराखण्ड

P.S. (पोस्ट): 151112

District (जिला): हरिद्वार

1. G.D. No. (रोजनामाका सं.): 035

2. G.D. Date (रोजनामाका दिनांक): 24/02/2024 09:13 PM

3. G.D. Type (रोजनामाका प्रकार): आपराधिक प्रकार

4. Entry for (Officer) (पविष्टि (अधिकारी के लिए)): Dharendra Singh

5. Case Type (प्रकरण का प्रकार): प्रॉट

6. G.D. Brief (रोजनामाका संक्षिप्त): इस समय अन्जु कुमार राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र दरगाहपुर कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार 8755032065 ने तहजिर थाना अन्व 04 कित्ता तहरीर हिन्दी हस्तलिखित व खुद की हस्तलिखित बतौर वाबत अभियुक्तगण 1-संगीत 2/0 तंगजुत, 2-नाहिद 3/0 इरशद, 3-मुल्तमान 5/0 इन्सुलान 7-नफीस 8/0 इन्सुलान, 5-रिहयान 9/0 अब्दुल सलाम निवासीगण थाना नेहन्दपुर थाना कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार 6-गन्दधीर पुत्र अन्व, 7-मुन्दी 8/0 अन्व, 8-दिनेश 9/0 अन्व, 9-पौधा 10/0 सोम, 10-पाल्सी 11/0 सोम, 11-विट्ट 12/0 सोम निवासीगण प्रतापपुर कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार द्वारा प्रतापपुर क्षेत्र में शसका नम्बर 01-प्रतापपुर थाना सभा 09 आर0वी0एम0-92x35x3=96.60 घन मी0, 02-प्रतापपुर, सभा जी 01 आर0वी0एम0 105x34x3=10710 घन मी0, 03-प्रतापपुर, सभा जी 09 आर0वी0एम0 145x54x3=17010 घन मी0 पर रजि के समय अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में नया 02 कित्ता पेटोयाक गय एक कित्ता खतौनी के लकर दखिल की। उन दखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर सीताटीएनएस पर मु0अ0स0 181/24 धारा 379 भादवि व 4/21 खनन अधि0 बनाम सरोम आदि 11 नकर अभियुक्त उपरोक्त दिनांक घटना समय 3:00 बजे तहरीर दिनांक सूचना तहरीर ड्रगरोजा समय स्पष्ट हाजा घटनास्थल प्रतापपुर कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार दिशा जातिध पूर्व दूरी करीब 18 किमी हलन्त नौकी रायली कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार के अन्दर सालहाल बलयम व दजे किया गया तपतीस उभिनो सजलबता सही करेगी नवल चिक नवन स्पष्ट वास्तु विवेचना विवेचक को दी जा रही है। डेली जरायम इशाल होंगे। तकगीला रोजेखान सम्बन्धित में दरपेश है सूचना द्वारा उचित साधन के 3-तधिकारीगणों को दी जा रही है।

7. Subject (विषय): दखिला तहरीर व कायमी मु0अ0स0-181/24 धारा 379 भादवि व 4/21 खनन अधि0 बनाम सरोम आदि

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	थाना एवं रजिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	थाना एवं रजिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	आ द व 1800	379

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 24/02/2024 21:26

Signature (हस्ताक्षर):

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): Rajeev Rautan

Name (नाम): Dharendra Singh

Rank (पद): 1 (Inspector)

Rank (पद): प्रमुख विवेचक

No. (सं.):

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 07 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 20.01.2024 को अवैध खनन के अन्तर्गत कार्यवाही कर अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर 05 ट्रेक्टर मय ट्रॉली को अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या दिनांकित 20.01.2024 उपलब्ध करायी गयी। जिसके अनुसार अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहनों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो० नं०	वाहन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
1	इमरान पुत्र श्री कुरवान निवासी-दाईपुर गोविन्दपुर बहादुराबाद(हरिद्वार)	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08BC2651	05 घनमीटर रेत
2	कुरवान पुत्र श्री जीमल निवासी-बुड्डाहेड़ी हरिद्वार	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK17L4487	05 घनमीटर बजरी
3	तोफीक पुत्र श्री कदिर निवासी-नेहन्दपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08BB4355	05 घनमीटर रेत
4	वाजिद अली पुत्र श्री जहूर हसन निवासी-ग्राम जसपुर रणजीतपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (02 पहिया) Reg.No-UK17CA0924	04 घनमीटर रेत
5	मुख्तयार पुत्र श्री इलताफ निवासी-बुड्डाहेड़ी हरिद्वार	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08AZ2144	05 घनमीटर रेत

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सुपुर्दगी नामा

आज दिनांक 20/01/2024 को स्थान उपजिलाधिकारी कार्यालय समय 5:30 PM तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK08BC2651 चालक का नाम इमरान पिता का नाम शुभान निवासी गाँव पुरा, जिला हरिद्वार, मो. नं. 941120015 को पकड़ गया जिसमें रेट घन मी० उप खनिज बिना रायल्टी, रमन्ने व बिल के परिवहन कर पाया गया, जिसको श्री उपजिलाधिकारी पुत्र श्री आकाश या थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज दिनांक - 20/01/2024 की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
01	<u>UK08BC2651</u> <u>इमरान</u> <u>RPK26CA0236</u>	<u>500</u> <u>(04)</u>	<u>रेट</u> <u>(05)</u>	<u>श्री इमरान</u> <u>उपजिलाधिकारी</u> <u>कार्यालय</u> <u>लक्सर</u> <u>जिला हरिद्वार</u> <u>मो. नं. 941120015</u>

पकड़ने वाले का नाम
पदनाम
तहसीलदार
लक्सर।

सुपुर्दगार का नाम व पता

सहोदय,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
लक्सर।

राजस्व निरीक्षक

तहसीलदार
लक्सर।

सुपुर्वगी नागा

आज दिनांक 20/01/2024 को स्थान हनुमानगढ़ जिला सुपुर्वगी समय 4:35:16
 तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK08BB4355
 WMC2TAE1203 चालक का नाम लीलिबन पिता का नाम कदिर
 निवासी नेहलुडुवाड़ी लखन मोनं 9568234064 को पकड
 गया जिसमें टन/घन मी० उप खनिज बिमा रायल्टी, रमने व विल के परिवहन कर
 पाया गया, जिसको श्री 84 जिलाधिकारी लखन मोनं 9568234064 पुत्र श्री
 निवासी मोनं 9568234064 या थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज
 दिनांक 20/1/2024 की सुपुर्वगी में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
01	UK08BB4355 इजन नं० WMC2TAE1203	दुबल टायर (04)	10mm ग्रेजी व 20 (05)	नेहलुडुवाड़ी लखन मोनं 9568234064 पुत्र श्री 84 जिलाधिकारी लखन मोनं 9568234064 या थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज

पकडने वाले का नाम

पदनाम

तहसीलदार

लक्सर।

महोदय,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
 सुपुर्वगी का नाम व पता

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी
 लक्सर।

तहसीलदार
 लक्सर।

555

डायरी नं० - 13080 ✓

सुपुर्दगी नागा

आज दिनांक 20/01/2024 को स्थान हुमाना समय 4:35 PM
 तहसील लखसर जिला हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या PK17CA0924
 चालक का नाम वालिपुत्र पिता का नाम जुद्ध
 निवासी जुद्ध 201 मोनं० 8474954220 को पकड़ा
 गया जिसमें 2 टन/घन मी० रूप खनिज बिना रायल्टी, रमन्ने व बिल के परिवहन करते
 पाया गया जिसको श्री गुणधर पुत्र श्री आशोक
 निवासी आशोक मोनं० 20-1-2024 की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर-
01	<u>PK17CA0924</u> <u>WN1882229</u>	<u>रिंगल टायर</u> <u>(02)</u>	<u>2</u> <u>(0.5)</u>	<u>वालिपुत्र</u> <u>हुमाना</u> <u>मोनं० 8474954220</u> <u>जुद्ध</u> <u>201</u>

पकड़ने वाले का नाम

पदनाम

तहसीलदार

लखसर।

महोदय,

सुपुर्दगार का नाम व पता

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी

लखसर।

तहसीलदार

लखसर।

अर्थिक - 18850

सुपुर्दगी नामा

आज दिनांक 20/11/2024 को स्थान मुजफ्फर नगर समय 3:20
 तहसील लखसर जिला हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK08AZ2
 चालक का नाम मुजफ्फर पिता का नाम सुभाष
 निवासी उडाडी हरिद्वार मो.नं. 7668045652 को प
 गया जिसमें 2 टन/घन मी० उप खनिज विना रायल्टी, रमन्ने व विल के परिवहन व
 प्राया गया, जिसको श्री अजिता शर्मा पुत्र श्री साधाय
 निवासी मुजफ्फर नगर मो.नं. 7668045652 या थानाध्यक्ष/चाँकी इंचार्ज.
 दिनांक 20/11/2024 की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
01	UK08AZ2144 इमरान	2 टायर (04)	2 (05)	<u>मुजफ्फर नगर</u> मो.नं. <u>7668045652</u> उडाडी हरिद्वार जिला हरिद्वार तहसील लखसर मो.नं. <u>7668045652</u> अजिता शर्मा पुत्र श्री साधाय

पकड़ने वाले का नाम
 पदनाम
 20/11/2024

सुपुर्दगार का नाम व पता

तहसीलदार
 लखसर।

महोदय,

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी
 लखसर।

अजिता शर्मा
 तहसीलदार
 लखसर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 15 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024


दिनांक 16 फरवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.01.2024 को नेहन्दपुर में एक जे0सी0बी0 मशीन को अवैध खनन में संलिप्त होने पर अवैध खनन नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो० नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या
01	दलवीर सिंह पुत्र श्री ऋषिपाल निवासी- लक्सर जनपद हरिद्वार।	जे०सी०बी० मशीन Reg. No-UP20AT7388

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक 14.01.24 को स्थान निहंदपुर समय 7am
 तहसील व जिला हरिद्वार में अवैध खनिज पर कार्यवाही करते हुए आचक निरीक्षण के
 दौरान ट्रक/डम्पर/ट्रेक्टर-ट्राली/भैंसा बुगी चालक का नाम क.ल.बी. सिंह
 पिता का नाम श्री. प्रियालाल निवासी क.ल.बी. मो० नं०
..... को पकड़ा गया। जिसमें टन/घन बी०
रेत/ग्रिट/आर०बी०एम/गोल बजरी/डस्ट/मिट्टी उप खनिज बिना गैयल्टी/स्मन्ने व
 बिल के परिवहन कराया गया। उक्त वाहन में अवैध उप खनिज गमग्री को अग्रिम
 आदेशों तक श्री पुत्र निवासी
 मो० नं० या की
 सुपुर्दगी में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या व प्रकार	टायर संख्या	अवैध उपखनिज का नाम एवं वजन (टन/घन मी० में)	वाहन स्वामी अथवा चालक के बयान ए० ए०/नि० अं०
1	UP20 AT		बाणगांगा में	<p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>(9924007600)</p> <p>में दलवाई फिर्मागत निरु एमएल में हाप अं पंदा खनिज का गरी में स्थित है तथा जो निम्न पाद को परमिन मा लो का नरी क्षेत्र ही भोक्ति प्रस्ताप उप को हाप उम्वर खनिज का निरु वा रक्ष था</p>
2	7388	(2)	प्रयागपुरा)	
3	JCB	JCB	अवैध	
4			खनिज	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

सुपुर्दगी देने वाले का नाम
 पदनाम

(Handwritten signature)

सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले का नाम
 पदनाम

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 13 /पी0ए0/उ0जि0ल0/2024

दिनांक 30 जनवरी, 2024


विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.01.2024 को अवैध खनन के अन्तर्गत कार्यवाही कर प्रतापपुर में अवैध खनन करने पर उक्त जे0सी0बी0 मशीन को अवैध खनन परिवहन नियमावली के अन्तर्गत सीज किया। अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध जे0सी0बी0 मशीन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या
01	मोहित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी-आजमपुर जमनी भनोटी बिजनौर	जे0सी0बी0 मशीन(CAT) Reg. No. UK07FB4988

अतः अवैध खनन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक 15-01-24 को समय 8 बजे स्थान पुतापपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुए औचक निरीक्षण के दौरान निम्न वाहन/वाहनों को पकड़ा गया, जो बिना रायल्टी/विल/रूवन्ने के परिवहन करते पाये गये। उक्त वाहन/वाहनों को अग्रिम आदेशों तक श्री गणपति रोज इस्टर पुत्र निवासी पुतापपुर मो0नं0 847494822 या कोतवाली/थाना/चौकी की सुपुर्दगी में दिनांक 15-1-2024 को समय बजे दिया गया है।

क्र0	चालक का नाम/पिता/पति का नाम/निवास स्थान व मो0नं0	वाहन संख्या/प्रकार	टायर संख्या	वाहन में भरे अवैध उपखनिज का नाम व वजन	वाहन स्वामी/चालक के ब्यान एवं हस्ताक्षर/नि0अं0
01	मोहित कुमार 310 सुटेड सिंह नि0 अजयपुरा जमनी भनेरी बिजौर	CAT JCB मशीन	4 टायर	-	मोहित कुमार
02	-7248223644	-	-	-	-

घ्यान ड्राइवर

मैं मोहित कुमार 310 सुटेड सिंह निवासी ग्राम अजयपुरा जमनी भनेरी बिजौर ट्रेक्टर-ट्राली/डम्पर/ट्रक CAT/JCB ड्राइवर P.K.03.F.8595 रैग पास है। मेरे उक्त वाहन को राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा राजस्व टीम के द्वारा स्थान पुतापपुर के पास चैक किया गया है, मेरे वाहन में घनमीटर/टन उपखनिज भरा है। मेरे पास उक्त माल का रवन्ना है/नहीं है। अर्थात् जो माल मेरे उक्त वाहन में उपखनिज घनमीटर/टन में लोड है। रवन्ने के अतिरिक्त अवैध घनमीटर/टन उपखनिज है। मैं यह घ्यान पढकर व सूनकर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ, आज दिनांक 15-1-24 समय 8 बजे स्थान पुतापपुर बजे है।

मोहित कुमार
ड्राइवर का नाम व पता

(हस्ताक्षर सहित) मो0नं0

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी/
कर्मचारी का नाम /पदनाम/हस्ताक्षर

सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले अधिकारी/
कर्मचारी का नाम /पदनाम/हस्ताक्षर

15-01-24

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 08 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।


कृपया उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.01.2024 को अवैध खनन के अन्तर्गत कार्यवाही कर नेहन्दपुर बाढ़गंगा (लक्सर) में जे0सी0बी मशीन को अवैध खनन करने पर उक्त जे0सी0बी0 मशीन को अवैध खनन परिवहन नियमावली के अन्तर्गत सीज किया। अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध जे0सी0बी0 मशीन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या
01	साबेज पुत्र जब्बार निवासी-भैंसा मेरठ, उ०प्र०।	जे०सी०बी० मशीन Reg. No. UP15GT0625

अतः अवैध खनन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आख्या मूल में सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,

लक्सर।

562 21/05/2024 2,00,000/-

सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक 14/01/2024 को समय 09:10 AM स्थान एच.एच.ए. रोड, गंगा नगर, एच.एच.ए. तहसील लखसर जिला हरिद्वार में अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुए औचक निरीक्षण के दौरान निम्न वाहन/वाहनों को पकड़ा गया, जो बिना रायल्टी/बिल/रवन्ने के परिवहन करते पाये गये। उक्त वाहन/वाहनों को अग्रिम आदेशों तक श्री 3.14/2024/वि.प्र.17 पुर राजस्व विभाग, निसीय मो० नं० या कोतवाली/थाना/चौकी: की सुपुर्दगी में दिनांक 14/01/2024 को समय 11:20 बजे दिया गया है।

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो० नं०	वाहन संख्या प्रकार	टायर संख्या	वाहन में भरे अवैध उपखनिज का नाम व वजन	वाहन स्वामी/चालक के ब्यान एवं हस्ताक्षर/नि० अ०
01	<u>राजेश कुमार</u> कि-सीमा भद्र उत्तर 2521	<u>UP15GJ</u> 0678 नेशनल गार्ड RAJ30XSH 203255002	J.C.B.	<u>R.B. मंगल</u> गंगा नगर 1370 मीटर	<u>राजेश</u>
02					

ब्यान ड्राइवर

मैं राजेश कुमार निवासी ग्राम सीमा रोड, उत्तर 2521 ट्रेक्टर-ट्राली/डम्पर/ट्रक नेशनल गार्ड खनन कर रहा हूँ। मेरे उक्त वाहन को राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा राजस्व टीम के द्वारा स्थान एच.एच.ए. रोड, गंगा नगर के पास चैक किया गया है, मेरे वाहन में राजेश कुमार घनमीटर/टन उपखनिज 1370 मीटर भरा है। मेरे पास उक्त माल का रवन्ना है/नहीं है। अर्थात् जो माल मेरे उक्त वाहन से उपखनिज घनमीटर/टन में लोड है। बिना रवन्ना और अवैध घनमीटर/टन उपखनिज है। मैं यह ब्यान पढ़कर व सूनकर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ, आज दिनांक 14/01/2024 समय 09:10 AM बजे है।

राजेश

ड्राइवर का नाम व पता

(हस्ताक्षर सहित) मो० नं०

721748211

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी/

कर्मचारी का नाम / पदनाम / हस्ताक्षर

राजेश

सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले अधिकारी/

कर्मचारी का नाम / पदनाम / हस्ताक्षर

राजेश

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 17 /पी0ए0/उ0जि0ल0/2024


दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 29.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर एक ट्रक को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रगारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	इलियास पुत्र श्री नूरहसन नि०-ग्राम मलिरा मुजफ्फरनगर, उप्र०	ट्रक (22पहिया) Reg.No.-PB11CM8973	13 टन रोडी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है। संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 16 / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2024

दिनांक 30 मार्च, 2024


विषय:- अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.03.2024 को रामपुर रायघटी में समय रात्रि लगभग 11:20 बजे जे०सी०बी० मशीन चेसिस सं० HAR3DXS4T03276435 को गंगा नदी में आरबीएम का अवैध खनन करने पर अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी।

उक्त जे०सी०बी० मशीन को रिलीज किये जाने के सम्बन्ध में इजहार अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया कि जे०सी०बी० मशीन चेसिस सं० HAR3DXS4T03276435 जिसका ऑपरेटर इजहार अहमद पुत्र श्री नसीम अहमद निवासी-ग्राम किशनबास पोस्ट मंडावर जिला बिजनौर उ०प्र० है को दिनांक 14.03.2024 को गंगा नदी में अवैध खनन करने पर तहसीलदार लक्सर द्वारा पकडकर भिवकमपुर पुलिस चौकी की सुपुर्दगी में दी गयी है।

अतः अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त उपरोक्त जे०सी०बी० पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार लक्सर की चालानी आख्या एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 15 / पी0ए0/उ0जि0ल0/2024

दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन के अन्तर्गत निरूद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.03.2024 को रामपुर रायघटी में समय रात्रि लगभग 11:20 बजे जे0सी0बी0 मशीन चेसिस सं0 HAR3DXSSE02811958, को गंगा नदी में आरबीएम का अवैध खनन करने पर अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी।

उक्त जे0सी0बी0 मशीन को रिलीज किये जाने के सम्बन्ध में विनीत सैनी निवासी-ग्राम भोगपुर हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया कि जे0सी0बी0 मशीन चेसिस सं0 HAR3DXSSE02811958 जिसका ऑपरेटर विनित कुमार पुत्र श्री जयचन्द ग्राम भोगपुर हरिद्वार उक्त जे0सी0बी0 मशीन का ऑपरेटर है को दिनांक 14.03.2024 को गंगा नदी में अवैध खनन करने पर तहसीलदार लक्सर पकड़कर भिक्कमपुर पुलिस चौकी की सुपुर्दगी में दी गयी है

अतः अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त उपरोक्त जे0सी0बी0 पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार लक्सर की चालानी आख्या एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,

लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लकसर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 14 / पी0ए0/उ0जि0ल0/2024


दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक कोतवाली लकसर द्वारा दिनांक 29.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर एक ट्रक को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लकसर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लकसर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	गुलजार पुत्र श्री हाजी जब्बार निवासी-हरा थाना सरुटपुर मेरठ	ट्रक (18 पहिया) Reg.No.-PBI3BP7095	12 टन रोड़ी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।


(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लकसर।

HL प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 12 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024


दिनांक 23 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 21.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर एक ट्रक को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	श्री राजू पुत्र श्री चरणू सिंह निवासी-राउली कला, गाजियाबाद	ट्रक (18 पहिया) Reg.No.-UP15FT7079	65 टन डस्ट

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 13 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 28.03.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अलावलपुर में ट्रेक्टर-ट्रॉली को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वाहन स्वामी/चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/ इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
1	श्री जुल्फकार पुत्र श्री अकबर निवासी-सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली(02 पहिया) Inigne.No-RNF2GCA4397	1.5 घनमीटर मिट्टी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या || /पी0ए0/उ0जि0ल0/2024

दिनांक 22 मार्च, 2024


विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने एवं अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त होने पर ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुसार अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहनों का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो0नं0	वाहन संख्या/ इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
01	दीपक पुत्र श्री बाबूराम निवासी-कबूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK17V5960 Chassis No- MBNGAALDBPRG05877	06 घनमीटर आर0बी0एम0
02	शिवम पुत्र श्री चमन सिंह निवासी-कबूलपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UP20AX5034 Chassis No-NKXB01687	06 घनमीटर आर0बी0एम0
03	इसम पुत्र श्री कवीसर निवासी-रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08AZ2039	06 घनमीटर आर0बी0एम0
04	बजन पुत्र श्री मनफूल निवासी-रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08BC4852	06 घनमीटर आर0बी0एम0

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 6 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 01 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.02.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मिट्टी से भरे डम्पर को खनन सामग्री से सम्बन्धित वैध प्रपत्र के बिना मिट्टी परिवहन करने पर अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत सीज कर वाहन में भरी उप खनिज सामग्री मिट्टी के सम्बन्ध में तहसीलदार लक्सर से आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०न०	वाहन संख्या / इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
1	शहनवाज पुत्र श्री निसार निवासी-औरंगजेबपुर थाना बुग्गावाला तहसील रुड़की हरिद्वार	डम्पर (10 पहिया) Reg.No-UK07CB3753	08 घनमीटर मिट्टी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

पेपक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 02 / पी0ए0/उ0जि0ल0/2024


दिनांक 05 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, प्रवीण सिंह रावत, उप निरीक्षक थाना खानपुर द्वारा दिनांक 02.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर थानाध्यक्ष थाना खानपुर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	रिशु कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार निवासी-ग्राम थाना थाना खानपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (02 पहिया) Reg. No-UPI1BP4189	03 घनमीटर मिट्टी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 03 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 05 मार्च, 2024


विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, दीपक चौधरी उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 04.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर 02 ट्रक को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	तलिब पुत्र मूसा निवासी- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।	ट्रक (18 पहिया) Reg. No-HR58C1158	60 टन डस्ट
02	हारून पुत्र श्री फैयाज निवासी-भैसानी शामली, उ०प्र०	ट्रक (22 पहिया) Reg. No-HR58B9188	70 टन रोड़ी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 04 / पी0ए0/उ0जि0ल0/2024

दिनांक 05 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, दीपक चौधरी उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 03.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर 02 ट्रक को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो० नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	इरशाद पुत्र श्री जफ्फार निवासी-जब्बारपुर जनपद अमरोहा, उ०प्र०	ट्रक (14 पहिया) Reg. No-UP37T8809	47 टन डस्ट
02	मिन्टू पुत्र श्री इददु निवासी-ग्राम जोला बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर, उ०प्र०	ट्रक (16 पहिया) Reg. No-UP15AT4144	45 टन रोड़ी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 05 /पी0ए0/उ0जि0ल0/2024

दिनांक 11 मार्च, 2024


विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, नरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 13.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर ट्रक को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	रजाउल हक पुत्र श्री जाहिल निवासी-ग्राम ददेही थाना रुहाना जनपद मुजफ्फरनगर, उ०प्र०	ट्रक (22 पहिया) Reg. No-HR58B9614	55 टन डस्ट

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

भक्तदीप

 (गोपाल सिंह चौहान)
 उप जिलाधिकारी,
 लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या ७६ / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2024

दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नायब तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.03.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम महाराजपुर खुर्द में ट्रेक्टर-ट्रॉली को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या दिनांकित 14.03.25024 उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वाहन स्वामी/चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/ इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
1	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री गिरवर सिंह निवासी-ग्राम महाराजपुर खुर्द तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली(02 पहिया) Reg.No-UK08F1860	05 घनमीटर रेत (कोरसैंड)

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लकसर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 07 /पी0ए0/उ0जि0ल0/2024

दिनांक 18 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरूद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लकसर द्वारा दिनांक 14.03.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सुल्तानपुर नेहन्दपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या दिनांकित 14.03.25024 उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरूद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वाहन स्वामी/चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/ इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
1	पंकज सैनी पुत्र श्री वेदपाल सैनी निवासी-जैतपुर लकसर जनपद हरिद्वार	ट्रेक्टर-ट्रॉली(02 पहिया) Reg.No-UK17B1226	03 घनमीटर मिट्टी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है। संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लकसर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 08 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024


दिनांक 21 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, श्री कमलकांत रतूड़ी तहसील उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 20.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर 02 ट्रेक्टर मय ट्रालियों को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो० नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	श्री मुराद पुत्र श्री हारून अली निवासी- जैनपुर लक्सर	ट्रेक्टर-ट्रॉली (02 पहिया) Chassis No. No-494520	04 टन मिट्टी
02	तसलीम पुत्र श्री कासिम निवासी-जैनपुर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (02 पहिया) Chassis No. No-9705607	04 टन मिट्टी

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 09 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024


दिनांक 21 मार्च, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरूद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक, श्री कमलकांत रतूड़ी तहसील उप निरीक्षक कोतवाली लक्सर द्वारा दिनांक 20.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर एक डम्पर को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर/पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के माध्यम से चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरूद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरे अवैध उप खनिज का नाम व वजन
01	जोनी पुत्र श्री धारा सिंह निवासी-बादशाहपुर जनपद हरिद्वार।	डम्पर/ट्रक (10 पहिया) Reg. No-UK14CA3589	25 टन डस्ट

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 10 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 22 मार्च, 2024


विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.03.2024 को अवैध खनन सामग्री परिवहन करने एवं अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त होने पर ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुसार अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहनों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या / इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
01	विशान्त कुमार पुत्र श्री सतेन्द्र कुमार निवासी-ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08BC5513	06 घनमीटर आर०बी०एम०
02	सुनील पुत्र श्री सतपाल निवासी-ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK17V9372	06 घनमीटर आर०बी०एम०
03	अंकित कुमार पुत्र श्री दिलेराम निवासी-रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK17V6673	06 घनमीटर आर०बी०एम०
04	फुरकान पुत्र श्री मुन्ना हसन निवासी-भिककमपुर जीतपुर तहसील लक्सर हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK17D8984	--

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार ।

सेवा में,

सचिव,
खनन,उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

दिनांक: 27 मार्च, 2023

संख्या:- 325/खनन-20.23

विषय:- जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) के गठन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या:-469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि 1 मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल उर्फ रमेश काम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) के गठन विषयक है:-

उक्त के अनुपालन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर जिला निरोधक दल के गठन निम्न प्रकार किया गया:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1- | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3- | नोडल प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | सदस्य |
| 5- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 6- | श्री तन्मय वशिष्ठ, महामंत्री श्री गंगा सभा हरिद्वार | सदस्य |

तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) का गठन निम्न प्रकार किया गया:-

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1- | सम्बन्धित उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक | सदस्य |
| 3- | सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | सदस्य |
| 5- | सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 6- | सम्बन्धित ग्राम का ग्राम प्रधान | सदस्य |

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार

प्रतिलिपि:- 1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, सा.वा0 वन प्रभाग, हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
3- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रशासन हरिद्वार ।
4- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद हरिद्वार को तत्काल अनुपालनार्थ।
5- जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार समस्त ग्राम प्रधानों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।
6- जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को अनुपालनार्थ प्रेषित।
7- श्री तन्मय वशिष्ठ, महामंत्री 63 गंगा सभा हरिद्वार ।




6-
7-

21/03/23
जिलाधिकारी,
हरिद्वार

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 1921 / VII-A-1 / 2021 / 158ख / 04टीसी
देहरादून, दिनांक: 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना संख्या- 1874 / VII-A-1 / 2021 / 158ख / 04टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
 संख्या: 1874 /VII-1/2021/158ख-04टीसी
 देहरादून, दिनांक: 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

- | | |
|------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-
(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय-समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;
(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;
(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;
(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चिकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;
(ङ) "नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;
(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय-समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है; |

- (छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये परीक्षण अभिप्रेत है;
- (ज) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;
- (झ) "अभिवहन पास/ई-रवन्ना" से अधिनियम या तदधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा-पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई-रवन्ना अभिप्रेत है;
- (ण) "आदतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;
- (त) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;
- (थ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (द) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (ध) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;
- (न) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;
- (प) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;
- (फ) मैदानी क्षेत्र:-मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;
- (ब) पर्वतीय क्षेत्र:- पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;
- (भ) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु 66व्य सरकार/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

- (म) "रिटेल भण्डारण" से खनिजों (रेता, बजरी, आर०बी०एम०, बोल्डर, ग्रेट, डस्ट इत्यादि) का ऐसा भण्डारण अभिप्रेत है, जो कि निजी व्यक्ति/ फर्म/संस्था/कम्पनी, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी (प्लांट परिसर से बाहर हेतु), खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर्स, सोपस्टोन पल्वराईजर अनुज्ञाधारक द्वारा विक्रय एवं प्लांटों के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है, अभिप्रेत है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है।
- (य) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्त उद्योग, 102-खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;
- (र) "मोबाईल चैक पोस्ट" से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों के चैकिंग हेतु चलित (Movable) चैक पोस्ट से अभिप्रेत है;
- (ल) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;
- (व) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी०आर०ओ०, रेल विकास निगम लि०, टी०एच०डी०सी० लि०, एन०एच०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू०जे०वी०एन०एल० आदि अभिप्रेत है;
- (2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा-पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।
- अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस
4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा-पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तदधीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।
- अभिवहन पास का जारी किया जाना
5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई-पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र "क" से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई-पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

- (2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई-पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र-“जे” में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र-“जे” (ओएस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;
- परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्टर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई-पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र-“एन” में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय-दो

खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट की स्थापना की जायेगी।
- (2) (क) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल के प्रभारी अधिकारी को मौके पर अवैध रूप से परिवहन किये जाने रहे खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।
- (ख) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।
- (ग) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल का प्रभारी अधिकारी, अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहन चालक/स्वामी को निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ई-रवन्ना प्रपत्र का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक/स्वामी, उक्त प्रयोजन के लिए मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।
- (2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन चालक/स्वामी, मोबाईल चैक पोस्ट पर रुकेंगे और अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। मोबाईल चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी अभिवहन पास/ई-रवन्ना प्रपत्र का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक माह परीक्षण हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका में जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्ध होने की दशा में मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।
- (3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

अध्याय-तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के
भण्डारण हेतु
अनुज्ञाप्ति के लिए
आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र-“एच” में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराइजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी रिटेल भण्डारण स्थलों में अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक, खनिज भण्डारण हेतु उपखनिज की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करेगा।

परन्तु, उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

- (2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :-

1. उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा, जो वापस नहीं किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

- (3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञापित, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म

इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति /संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

- (4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा; परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
- (5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. संबंधित उप जिलाधिकारी - अध्यक्ष।
2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - सदस्य सचिव।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

- (6) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक (Muck) के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र "एच-1" में आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/- (₹ पच्चास हजार) सहित, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र "एच-2" पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :-

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	संबंधित परियोजना के अभियन्ता (सिविल),	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

खनिजों के
भण्डारण हेतु
अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खनिजों के भण्डारणों की अनुज्ञा निम्नवत स्वीकृत की जायेगी:-

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
2. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञापति प्रपत्र-“आई” में अधिकतम 01 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञापति प्रपत्र-“आई” में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्वीकृत अनुज्ञा को ई-पोर्टल से जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

उपयोगी
उपखनिज के
उपयोग की
अनुमति

10. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा संबंधित परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा 05 वर्ष जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल व रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

खनिज
भण्डारण की
अनुज्ञापति का
नवीनीकरण

11. (1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञापति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञापति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

- (3) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई-पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

भण्डारण के
मानक एवं अन्य
शर्तें

12. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञापति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

- (2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी-

(i) पर्वतीय क्षेत्र :-

क-धार्मिक स्थल से दूरी-50 मी०

ख-शैक्षणिक संस्थान से दूरी-100 मी०

ग-अस्पताल से दूरी- 100 मी०

घ-रेल मार्ग से दूरी-50 मी०

ङ.-नदी (Perennial River) से दूरी-50 मी०

च-बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी- 25 मी०

छ-सरकारी वन से दूरी-25 मी०

(ii) मैदानी क्षेत्र :-

क-धार्मिक स्थल से दूरी-300 मी०

ख-शैक्षणिक संस्थान से दूरी-300 मी०

ग-अस्पताल से दूरी- 300 मी०

घ-रेल मार्ग से दूरी-50 मी०

ङ- नदी (Perennial River) से दूरी-500 मी०

च-बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी- 50 मी०

छ-सरकारी वन से दूरी-100 मी०

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

- (3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

- (4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई-एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई-फार्म "जे" अथवा ई-फार्म (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

- (5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी०सी०टी०वी० की

रिकॉडिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉडिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉडिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर ₹ 250/- प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

- (6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख-रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, भरण (loading), भार उतारना (unloading) हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।
- (7) (i) स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को विक्रय की गयी मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारकों द्वारा विक्रय की गयी उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्टर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iii) खनिज सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञाधारकों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारकों पर उक्त खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।
- (iv) प्रदेश के बाहर से आयतित होने वाले खनिज या उसके उत्पाद तथा ईट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई-रवन्ना वेब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी०एस०टी० नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी के पास ऑनलाईन/ऑफलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय/विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्टर छोड़कर) का लेखा एम०आई०एस० पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार महानिदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

- (8) तकनीकी दल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं से संबंधित टनल/निर्माण स्थल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आंगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का समायोजन/भुगतान किया जायेगा।
स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आंगणित राँयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किशतों में विभागीय लेखा शीर्षक में अग्रिम जमा किया जायेगा। किशतों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज लिया जायेगा।
- (9) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (10) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग संबंधित परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 14(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ-साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का
लेखा-जोखा
रखना

13. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय कय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा-जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-“के” में रखेगा।
- (2) अनुज्ञाधारक द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक उपखनिज क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।
- (3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के कय-विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र “एल” में प्रस्तुत करेगा।
- (5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई-प्रपत्र, लेखा-जोखा, ई-लेखा-जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमितताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टो, मैग्नेसाईट आदि अनुज्ञाधारकों, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा

174

21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

जाँच एवं
शास्ति

14. (1) रिटेल भण्डारण या प्लांटों में भण्डारित खनिज की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तदधीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो कि खान निरीक्षक से अन्यून न हो :-
- (क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;
- (ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजों के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है परन्तु उक्त पैमाइश के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी;
- (ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;
- (घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;
- (ङ) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;
- (च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;
- (छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय;
- (ज) खनिजों के भण्डारण में अनियमितता पाये जाने पर भण्डारण स्थलों को सीज (Seize) करते हुए भण्डारणकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है एवं नोटिस का प्रति उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त न होने पर अवैध खनन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुत कर सकता है।
- (2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :-

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली 175	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा

			का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पौकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु अधिकृत होंगे।

(क) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(ख) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ग) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण महानिदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई-रवन्ना पर क्रय-विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) (क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियुक्त समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण

संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डारणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञापि का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त ₹ 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

- (ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

M

(इ) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो खान निरीक्षक से अन्यून स्तर का न हो, अधिकृत होंगे, परन्तु जब्त/दण्ड अधिरोपित करते समय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति/प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।

(च) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(छ) सरकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा परियोजनाओं में प्रयुक्त किये गये उपखनिज ग्रिट आदि हेतु वैद्य ई-रवन्ना प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा को अवैध मानते हुए उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में परियोजना के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा सन्देहास्पद ई-रवन्ना प्रपत्रों की जांच करने हेतु जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई-रवन्ना प्रपत्र अवैध पाये जाने पर उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

(झ) जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्टर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज, कृ० छोड़कर) का दुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्टर एवं वाहन को जब्त कर

लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- (6) रिटेल भण्डारणों व स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे जिला खान अधिकारी के द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्लान्टधारकों के व्यय पर किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (7) खदान के निकासी गेटों पर स्थापित धर्मकांटों पर आर०एफ०आई०डी० सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) निदेशालय स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु निगरानी प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) की स्थापना की जायेगी।

अपील 15. इस नियमावली के अधीन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष प्रपत्र-“एम” में अपील कर सकेगा।

पुनरीक्षण 16. राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

अपील/ पुनरीक्षण हेतु शुल्क 17. नियम 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एवं नियम 16 के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु शुल्क ₹ 10,000.00 देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा, की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation/ Committee of Independent Experts) द्वारा वादों का निस्तारण 18. खनिजों से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रकरण शासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation Committee of Independent Experts) को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति 19. (1) राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी -

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, कोई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य

कार्रवाई, जहां तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

- (ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

अनुसूची
प्रपत्र - "एच"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 8 देखिए) दिनांक

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाय।

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्कट्रेजरी चालान सं०..... दिनांकको जमा करा दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(i) आवेदन का नाम

पिता का नाम

अस्थायी पता

जी०एस०टी० नं०

(ii) भण्डारण हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण

खसरा नं०

क्षेत्रफल

ग्राम/शहर

तहसील

जनपद

(iii) क्या आवेदक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है ?

(iv) यदि आवेदक :-

(क) एक व्यक्ति है जो उसकी राष्ट्रीयता :

(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता

(घ) आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति

(ङ) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है

(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है

(v) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है, जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाय

(vi) भूमि की संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित

(vii) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा

(viii) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य

(ix) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र

(x) भण्डारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी हैं, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान

दिनांक

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र - "आई"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
(नियम 9 देखिए)

संख्या

- 1- अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता
- 2- अनुज्ञप्ति की अवधि से तक
- 3- भण्डारण के लिए अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा :
- 4- प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा :
- 5- भण्डारण का प्रयोजन :
- 6- खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान

दिनांक

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुहर।

प्रपत्र - "जे"
अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)
{नियम 5(2) देखिए}

पुस्तक संख्या
अभिवहन पास क्रमांक संख्या

1. भण्डारण के स्वामी का नाम, पूर्ण पते सहित दिनांक समय
2. भण्डारण स्थल का विवरण गाटा संख्या ग्राम
तहसील एवं जिला
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण आदेश संख्या
दिनांक
4. अनुज्ञा की वैध दिनांक
5. परिवहन किये जा रहे खनिज/खनिजों का नाम
6. निर्गमित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घनमीटर में)
7. गन्तव्य स्थान कहां से
कहां तक
8. वाहन के प्रकार का विवरण प्रकार :
(ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली की दशा में (ट्रक/ट्रैक्टर)
वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या इंगित करें) पंजीकरण संख्या:
9. परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता सहित :
10. पास जारी करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक एवं समय सहित :

M

प्रपत्र – "के"
खनिजों के भण्डारण और प्रेषण का लेखा रजिस्टर
{नियम 13(1) देखिए}

1- भण्डार के स्वामी का नाम पूरा पता सहित :

भण्डारित सामग्री का विवरण :

- (I) दिनांक
- (II) खनिज/खनिजों का नाम
- (III) खनिज/खनिजों की मात्रा
- (IV) प्रदायकर्ता/विक्रेता/पट्टाधारक/अनुज्ञा-पत्रधारक का नाम :

2- क्रय किये गये खनिज/खनिजों का विवरण :

- (I) (क) एम0एम0 11/प्रपत्र-एन की पुस्तक संख्या एवं क्रम संख्या दिनांक सहित:
(ख) उस पट्टाधारक का अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम, जिससे खनिज क्रय किया गया है।
- (II) भण्डारण के लिये क्रय किये गये या लाए गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण:
- (III) भण्डारण के लिये प्राप्त किये गये खनिज के क्रय का मूल्य (पट्टेदार या अनुज्ञा-पत्र धारक होने की दशा में अपेक्षित नहीं है):
- (IV) भण्डारण के लिये क्रय की गयी खनिजवार कुल मात्रा:

3- प्रेषण का विवरण :

- (I) दिनांक
- (II) खनिज/खनिजों का नाम मात्रा सहित :
- (III) नियम 6(4) के अधीन यथाविहित जारी किए गये अभिवहन पास की संख्या और दिनांक
- (IV) प्रेषण का गन्तव्य स्थान –
कहाँ से कहाँ को
- (V) भण्डारण स्थल के बाहर निर्गमित किये गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण पंजीकरण संख्या सहित
- (VI) प्रेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :
- (VII) भण्डार से परिवहन किये गये खनिज का विक्रय मूल्य :
- (VIII) खनिजवार अतिशेष स्टॉक ।

प्रपत्र - "एल"
मासिक विवरणी
{देखिए नियम 13(4)}

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
जनपद

2. जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद

..... माह के लिये विवरणी

1. भण्डारण के स्वामी का नाम और पता
2. परिसर, जहां खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा :-
गाटा सं० ग्राम
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक
.....
4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे सतम्भ में दिया गया है :-

खनिज / खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मी० में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज / खनिजों की कुल मात्रा (घन मी० में)	माह के दौरान निर्गमित खनिज / खनिजों की कुल मात्रा (घन मी० में)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल सं० दिनांक सहित	निर्गम हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक / ट्रैक्टर / ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मी० में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान

दिनांक

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र – "एम"
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)
(नियम 15 देखिए)

सेवा में,

महोदय,

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के उपबंधों के अधीन द्वारा पारित आदेश सं० दिनांक के विरुद्ध एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

1. अपील दायर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों/फर्म या कम्पनी का नाम और पता.....
2. व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी का व्यवसाय.....
3. उस प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अपील दायर की जा रही है, के आदेश संख्या और दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न की जाये).....
4. अपीलार्थी/खनिजों, जिसके लिये अपील दायर की जा रही है
5. खनिज/खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है
6. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 15 में यथा विहित रीति के अपील के लिये जमा किये गये ₹ 10,000 की विहित फीस का विवरण-खजाना चालान सं० (प्रति संलग्न की जाये) दिनांक
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है ?
8. यदि नहीं तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के नियम 15 के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण
9. बनाये गये पक्ष/पक्षकारो, यदि कोई हो, के नाम व पूरे पते

10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या
11. अपील का आधार
(विवरण पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
(i) संक्षिप्त तथ्य
(ii) आधार
(iii) प्रार्थना
12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है, तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्नक किया जाय।

संलग्नक :-

- 1.
- 2.
- 3.

स्थान

दिनांक

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता



प्रपत्र - "एन"
मुख्य खनिज भण्डारण से परिवहन के लिये अभिवहन पास
(नियम 5 (3) देखिए)

दिनांक

समय.....

- 1- पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी का नाम
- 2- खान की अवस्थिति
- 3- खनिज/खनिजों का नाम
- 4- खनिज/खनिजों की मात्रा
- 5- किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज
का प्रयोग किया जायेगा
- 6- गन्तव्य स्थान से तक
- 7- परिवहन साधनों का विवरण
(यदि वाहन हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या).....
- 8- खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
और अंगुष्ठ चिन्ह
- 9- परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम
और पता
- 10- परेषण के भारसाधक व्यक्ति के
पूर्ण हस्ताक्षर
- 11- अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का
नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर

टिप्पणी : (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।

(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

प्रपत्र- "क"
मुख्य खनिजों के खनन पट्टों से खनिज के परिवहन का प्रपत्र
(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक

समय

1. खनन पट्टाधारक का नाम
2. खदान का नाम व उसकी स्थिति.....
3. खनिज/खनिजों का नाम
4. खनिज/खनिजों की मात्रा.....
5. खदान से बाहर भेजे गये खनिज की मात्रा.....
6. खनिज का उपयोग किस कार्य अथवा उद्योग में किया जायेगा।
7. गन्तव्य स्थान कहाँ से..... कहाँ तक.....
8. खनिज किस वाहन से भेजा जा रहा है, उसका विवरण
(यदि मोटर गाड़ी/ट्रक से भेजा जा रहा हो, तो उसकी निबन्धन सं० लिखी जाय और यदि अन्य साधनों से भेजा जाय, तो उसका विवरण दिया जाय।)
9. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा ।
10. प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का विवरण।
(क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.....
(ख) पता.....
11. पास जारी करने वाले व्यक्ति का विवरण ।
(क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.....
(ख) पता.....



प्रपत्र एच-1

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना हेतु मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के निर्माण स्थल/परियोजना के टनल, Open excavation व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकलने वाले मक/उपखनिज के भण्डारण एवं प्रयोग की अनुमति परियोजना की अवधि तक दी जाये।

2. उक्त नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्धारित शुल्क ₹ 50,000/- कोषागार चालान संख्या.....दिनांक.....के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

3. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:-.....

4. आवेदक का नाम व पूरा पता.....

5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....

6. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक

7. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....

8. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....

9. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....

10. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप

11. डम्पिंग साईट का विवरण.....

12. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में) व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में).....

14. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा में उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा में उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में).....

15. कोई अन्य विवरण या रेखा-मानचित्र (स्कैच मैप) जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहें.....
मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्रपत्र एच-2मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पूरा पता.....
2. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....
3. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक
4. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....
5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....
6. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....
7. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप
8. डम्पिंग साईट का विवरण.....
9. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा.....
11. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा में से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)
12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा में से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में).....
13. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
14. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज में से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
15. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....
16. मौका निरीक्षण के समय Open excavation से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....
17. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार प्रस्तावित उपयोगार्थ (Usable) मक/उपखनिज की कुल मात्रा (घनमीटर में)के सापेक्ष परियोजना निर्माण स्थल/टनल से समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में)..... में अन्तर (घनमीटर में).....
18. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) व समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज के क्रमिक योग में अन्तर अधिक है तो अन्तर के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी व अन्य देयों की धनराशि (₹ में)..... और यदि अन्तर कम है तो समायोजित की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि (₹ में).....

19. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है.....

20. गठित समिति की संस्तुति:-

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के अभियन्ता (सिविल),
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित
मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का
अधिकारी (सदस्य)

प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित
मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण
अभियन्ता स्तर का अधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण
विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित
मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण
अभियन्ता स्तर का अधिकारी
(सदस्य)

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म
इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित
अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक
स्तर के अधिकारी (संयोजक)

आज्ञा से,

(आर० मीनक्षी सुन्दरम)
सचिव

610

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या: 2882/VII-A-1/2023-03(102)2021

देहरादून, दिनांक: 14 नवम्बर, 2023

अधिसूचना सं० 2882/VII-A-1/2023-03(102)2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव-मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी (मा० विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमाँऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास अनुभाग-1
 संख्या- 2887/VII-A-1/2023-03(102)2021
 देहरादून: दिनांक: 14 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023

- | | |
|---|--|
| संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ
नियम 5 के
उपनियम 2 का
संशोधन | 1 (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| 2 | उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में निचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-1 के नियम 5(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:- |

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

नियम-5(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट /हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लांट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई-पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र-“जे” में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र-“जे” (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;

परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्टर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रेट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई-पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र-“जे” में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र-“जे” (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;

राज्य के बाहर से खनिजों (उपखनिज/ मुख्य खनिज) का परिवहन किये जा रहे वाहनों पर ₹0 07/- प्रति कु0 की दर से खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) निम्नानुसार अवधारित करते हुए अधिरोपित किया जायेगा :-

अन्य राज्य से खनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय पोर्टल <https://dgmappl.uk.gov.in/> पर इन्टर स्टेट ट्रांजिट पास लॉगिन पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण मूल सूचनाओं यथा-वाहन

स्वामी/वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर के आधार पर किया जायेगा।

उक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी/वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर लॉगिन आईडी व पासवर्ड उपलब्ध होगा।

लॉगिन आईडी व पासवर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई-पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निर्धारित लेखा शीर्षक (0853-00-102-01-00) में खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की धनराशि को जमा कर सकेगा। प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बन्धित विवरणों, जैसे-अन्य प्रदेशों के अभिवहन प्रपत्र का क्रमांक व दिनांक, प्रदेश व जनपद जो लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने वाली मात्रा के अनुसार खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की कटौती होने के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर अन्तरराज्यीय अभिवहन पास (ISTP) जनित होगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड में आने वाले खनिजों के वाहनों पर उस राज्य के वैध अभिवहन प्रपत्र के साथ-साथ उत्तराखण्ड की अन्तरराष्ट्रीय अभिवहन पास (ISTP) की प्रति संलग्न होने पर ही सम्बन्धित खनिजों का परिवहन विधिमान्य होगा।

- नियम 14 के उपनियम 5(क) का संशोधन
3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-3 के नियम 14(5)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

नियम-(14)(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु

प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज


नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध में ई-रवन्ना पोर्टल में संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में

का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,


(बृजेश कुमार संत)
सचिव